

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997}

**THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION ACT,
1997****[U.P. ACT NO. 21 OF 1997]**

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997}

(जैसा मोटर यान कराधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राज्य में मोटर यानों पर कर का आरोपण करने और किराये के लिये यात्रियों और माल के परिवहन में लगे हुए मोटर यानों पर अतिरिक्त कर का आरोपण करने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 कहा
और
जायेगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार

प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

2— इस अधिनियम में, —

परिभाषाएं

(क) “अतिरिक्त कर” का तात्पर्य धारा 4 के अधीन आरोपित कर के अतिरिक्त, धारा 5 या धारा 6 के अधीन आरोपित कर से है;

(ख) “अपील प्राधिकारी” का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है;

(ग) “रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र” का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण पत्र से है कि मोटर यान को मोटर यान अधिनियम, 1988, या मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है;

(घ) “माल वाहन” का तात्पर्य किसी ऐसे मोटर यान से है, जो माल ढोने के लिए पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाये जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित हो या ऐसे किसी मोटर यान से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो, पर जब वह केवल माल ढोने या यात्रियों के साथ-साथ माल ढोने के लिये उपयोग में लाया जाय और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मोटर टैक्सी या बड़ी टैक्सी, या कोई ठेला गाड़ी या कोई मंजिली गाड़ी नहीं हैं जब ऐसी ठेकागाड़ी या मंजिली गाड़ी परिसीमित मात्रा में माल ढोने के लिए प्राधिकृत हो;

(ङ) “परिसीमित मात्रा का भार” का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अवधारित सीमा से अनधिक भार के ऐसे परिमाण से है, जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट करे;

(च) “पुराना मोटरयान” का तात्पर्य परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटर यान से है जो मोटर यान अधिनियम, 1939 के उपबन्धों के अधीन 5 फरवरी, 1988 के पूर्व रजिस्ट्रीकृत हो;

(छ) किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में “संचालक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसका नाम परमिट में या उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976 के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकार प्रमाण-पत्र में दर्ज हो और जहाँ ऐसा कोई परमिट या प्राधिकार प्रमाण-पत्र न हो, वहाँ उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसका नाम ऐसे

यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज हो, और जहाँ परिवहन यान किसी अवक्य करार के अधीन कब्जा हो वहाँ उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसकी उस यान पर करार के अधीन कब्जा हो, और जहाँ ऐसे व्यक्ति अवयस्क हो वहाँ उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}
3-4}

{धारा

(ज) किसी मोटर यान के सम्बन्ध में "स्वामी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसका नाम ऐसे यान के सम्बन्ध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज हो और जहाँ ऐसा यान किसी अवक्य करार या पट्टे या आडमान के अधीन हो वहाँ उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसका यान पर उस करार के अधीन कब्जा हो और जहाँ ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहाँ उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;

(झ) किसी सार्वजनिक सेवा यान के सम्बन्ध में "यात्री" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक सेवा यान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यान से संसक्त ऐसे कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में यात्रा करने वाले सार्वजनिक सेवा यान के संचालक, ड्राइवर, कण्डक्टर या संचालक का कोई कर्मचारी नहीं आता है ;

(ञ) "तिमाही" का तात्पर्य तीन कलेण्डर मास की ऐसी अवधि से है जो मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अन्तिम दिन को समाप्त होती है;

(ट) "सम्भाग" का तात्पर्य मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन सम्भाग के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है और इसके अन्तर्गत कोई उप सम्भाग भी है, जो राज्य सरकार पर समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ठ) "कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्गृहीत किसी कर से है;

(ड) "कराधान अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अधिकारी भी है, जिसे राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कराधान अधिकारी की सभी या कोई शक्ति प्रदान की जाय;

(ढ) "परिवहन यान" का तात्पर्य किसी माल वाहन या सार्वजनिक सेवा यान से है;

(ण) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और मोटर यान अधिनियम, 1988 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिये गये हैं।

3— (1) राज्य सरकार, नियम या अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए और ऐसी अवधि के लिए जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, किसी शैक्षिक, चैकित्सिक, परोपकारी या अन्य लोक प्रयोजन को अग्रसर करने में चलने वाली किसी मोटर यान या मोटर यानों के किसी वर्ग को पूर्णतः या अंशतः निम्नलिखित से छूट दे सकती है :-

छूट देने की शक्ति

(क) इस अधिनियम या इसके किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के भुगतान से।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी छूट या छूट के लिए आरोपित शर्त भूतलक्षी दिनांक से, जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक से पहले का न हो, प्रभावी की जा सकती है।

(3) राज्य सरकार, इसी तरह उपधारा (1) के अधीन दी गयी कोई छूट वापस ले सकती है किन्तु ऐसी छूट की वापसी भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित नहीं होगी।

4— (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, परिवहन यान से भिन्न किसी मोटर यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में लागू दर पर एक बार देय कर का, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान न कर दिया गया हो :

कर का आरोपण

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{धारा 5}

{परन्तु जहां किसी मोटर यान के सम्बन्ध, में एक बार देय कर का भुगतान उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के पूर्व किया जा चुका है और धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे कर की वापसी नहीं की गयी हो, वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उसके सम्बन्ध में इस उपधारा के अधीन कोई कर देय नहीं होगा :

परन्तु यह और कि किसी पुराने मोटर यान के सम्बन्ध में, एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटर यान पर लागू दर पर वार्षिक कर, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान किया जा सकता है।}

(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किसी परिवहन यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में लागू दर पर कर का, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "घ" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान न कर दिया गया हो।

(3) जहाँ परिवहन यान से भिन्न कोई मोटर यान, जिसके सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, परिवहन यान के रूप में चलायी जाय, वहाँ ऐसे परिवहन यान पर इस अधिनियम के अधीन देय कर देय होगा।

{(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रथम अनुसूची के भाग "ख", भाग "ग" या भाग "घ" में विनिर्दिष्ट कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।}

5— (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, अतिरिक्त

माल वाहनों पर

कोई माल उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जायेगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त, यथास्थिति—

कर

(क) उत्तर प्रदेश के भीतर अधिकारिता युक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची; या

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन स्वीकृत राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची का भाग "ख";

(ग) उत्तर प्रदेश में अंशतः पडने वाले अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल वाहन के सम्बन्ध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) जहां सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से संबंधित कोई पारस्परिक करार उत्तर प्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहां उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कर का उदग्रहण, उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार होगा;

परन्तु इस प्रकार उदग्रहीत अतिरिक्त कर उस अतिरिक्त कर से अधिक नहीं होगा, जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदग्रहीत होता।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2000 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997} {धारा 6—9}

6— (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित यान पर

सार्वजनिक सेवा

के सिवाय, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन से भिन्न कोई सार्वजनिक सेवा यान उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे सार्वजनिक सेवा यान के सम्बन्ध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

अतिरिक्त कर

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणधीन किसी सार्वजनिक सेवा यान के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर का उदग्रहण और भुगतान पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्मुला के अनुसार किया जायेगा।

(3) जहां किसी सार्वजनिक सेवा यान को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अतिरिक्त कर के भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट दी गयी हो, वहां धारा 8 के अधीन स्थापित निधि के प्रयोजन के लिए उसके संचालक पर उस अतिरिक्त कर के, जो ऐसे यान पर देय होता यदि उसे इस प्रकार की छूट न दी गई होती, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार का उदग्रहण कर दिया जायेगा और ऐसी धनराशि उक्त निधि में जमा की जायेगी।

7— (1) प्रथम अनुसूची के अधीन परिवहन यानों के सम्बन्ध में देय कर की धनराशि कर का

कर या अतिरिक्त

का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए या चतुर्थ अनुसूची के अधीन देय अतिरिक्त कर का लिए

अवधारण करने के

अवधारण करने के लिए उत्तर प्रदेश में समस्त मार्गों का वर्गीकरण ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, विहित प्राधिकारी द्वारा "क-वर्ग" के मार्गों या "ख-वर्ग" के मार्गों के रूप में किया जायेगा।

मार्गों का वर्गीकरण

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन मार्गों का वर्गीकरण न कर दिया जाय, तब तक,—

(एक) संयुक्त प्रान्त मोटर गाडी कराधान अधिनियम, 1935 के अधीन वर्गीकृत "विशेष वर्ग" और "क-वर्ग" के मार्ग इस अधिनियम के अधीन "क-वर्ग" के मार्ग होंगे, और

(दो) उक्त अधिनियम के अधीन वर्गीकृत "ख-वर्ग" और "ग-वर्ग" के मार्ग होंगे।

8— (1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीडित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी, जो "उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" कही जायेगी। धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उद्गृहीत अधिभार, और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।

दुर्घटना राहत निधि

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।

9— (1) धारा 11 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए,—
का

कर और शास्ति
भुगतान

(एक) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन देय कर का भुगतान मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय किया जायेगा;

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{धारा 10}

परन्तु किसी पुराने मोटर यान के सम्बन्ध में कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(दो) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन देय कर मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय प्रत्येक तिमाही के लिए और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

{(तीन) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन देय अतिरिक्त कर प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(चार) (क) धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर {उस मामले से भिन्न, जिस पर उपखण्ड (ख) होता है} चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर की

एक—तिहाई दर से प्रत्येक कलैण्डर माह के पन्द्रहवें दिन के या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(ख) मेला और धार्मिक सभाओं जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने, या बारात, पर्यटक पार्टी या ऐसी अन्य रिजर्व पार्टी की सवारी के लिए जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों के सम्बन्ध में धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर का भुगतान ऐसे अस्थायी परमिट के जारी किये जाने के समय किया जायेगा।¹

(2) जब कोई व्यक्ति अपने नाम से रजिस्ट्रीकृत किसी मोटर यान को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, जब तक इस सम्बन्ध में अन्तरक के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्तरिती मोटर यान के अन्तरण के दिनांक को या उसके पूर्व इस प्रकार अन्तरित मोटर यान के सम्बन्ध में देय कर या अतिरिक्त कर और शास्ति, यदि कोई हो, के बकाये का इस प्रकार देनदार होगा, मानों अन्तरिती उस अवधि के दौरान जिसके लिए ऐसा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति देय हो, उक्त मोटर यान का स्वामी था।

(3) जहां किसी मोटर यान के सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय, वहां देय कर या अतिरिक्त कर के अतिरिक्त देय धनराशि के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जैसी विहित की जाय, शास्ति देय होगी, जिसके लिए स्वामी और संचालक, यदि कोई हो, संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देनदार होंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन कर, अतिरिक्त कर या शास्ति की धनराशि की संगणना करने में, धनराशि को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात् एक रुपये के भाग को जो पचास पैसे या उससे अधिक हो, अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा।

10— (1) यदि धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा बिना

कर भुगतान किये

जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये यानों का

उत्तर प्रदेश में उपयोग नहीं

किया अस्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में—

जायेगा

(एक) उत्तर प्रदेश में उसके उपयोग या ठहरने के सप्ताहों के लिए, धारा 4 के अधीन कर का, जिसकी गणना प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित दर से और उपधारा (2) में दी गयी रीति से की जायेगी, भुगतान न कर दिया गया हो;

(दो) यथास्थिति, धारा 5 या धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का, जिसकी गणना छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित दर से की जायेगी, भुगतान न कर दिया गया हो।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}
11—12}

{धारा

(2) उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन कर के उद्ग्रहण और भुगतान के प्रयोजनों के लिए, किन्हीं दो सप्ताह या उसके भाग के लिये देय कर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर का 2/13 वां भाग होगा।

(3) यदि ऐसा परिवहन यान इस अधिनियम के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर का भुगतान किये बिना उत्तर प्रदेश में चलता हुआ पाया जाय, तो ऐसा कर या अतिरिक्त कर शास्ति के साथ, जो देय कर या अतिरिक्त कर के दस गुने के बराबर होगा, देय होगा।

11— जब किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर किसी तिमाही के दायित्व पर

प्रथम कर के

प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार देय हो, तब यथास्थिति, धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर प्रत्येक कलैण्डर मास या उसके भाग के लिए जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर देय हो, समुचित तिमाही कर का एक तिमाही होगा।

देय धनराशि

12— (1) जब कोई व्यक्ति जिसने किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में कर का भुगतान और

यान का अनुपयोग

कर दिया है, कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि मोटर करना

कर का वापस

यान का जिसके सम्बन्ध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, अन्तिम बार कर का भुगतान करने के समय से एक मास या उससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है तो वह उतनी धनराशि के वापसी का हकदार होगा, जितनी वह ऐसे यान के सम्बन्ध में ऐसी अवधि के प्रत्येक [तीस दिन]¹ के लिए, जिसके लिए भुगतान किया गया हो, देय तिमाही कर की दर के एक तिमाई के बराबर हो :

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के पूर्व जिसके लिए ऐसी वापसी का दावा किया गया हो, कराधान अधिकारी के पास यान के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन यदि कोई हो और परमिट अभ्यर्पित न कर दे।

(2) जहां किसी मोटर यान का, यथास्थिति संचालक या स्वामी एक मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अपने यान का उपयोग नहीं करना चाहता है वहां वह यथास्थिति, कर या अतिरिक्त कर के देय दिनांक के पूर्व उस सम्भाग के कराधान अधिकारी के पास जहां कर या अतिरिक्त कर का अन्तिम बार भुगतान किया गया हो, मोटर यान के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन, यदि कोई हो और परमिट यदि कोई हो, अभ्यर्पित करेगा और ऐसे अभ्यर्पण पर ऐसे यान के सम्बन्ध में प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास की उस अवधि के लिए जिसके दौरान यान उपयोग में न रहे और उपर्युक्त दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहे, इस अधिनियम के अधीन कोई कर या अतिरिक्त कर देय नहीं होगा :

परन्तु ऐसा यान उस अवधि के दौरान जब इस उपधारा में यथाउल्लिखित उसके दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहे, चलाया जाता हुआ पाया जाय, तो ऐसे यान का यथास्थित स्वामी या संचालक कर का देनदार होगा मानो उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन देय शास्ति का भी देनदार होगा।

(3) जहां परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटर यान, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, का स्वामी कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटर यान का एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है, वहां वह उक्त अवधि के लिए द्वितीय अनुसूची के भाग "क" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर की वापसी का हकदार होगा :

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1999 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{धारा 13}

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि यान के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन, यदि कोई हो, स्वामी का कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित न कर दिया जाय;

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन वापस की जाने वाली कुल धनराशि इस अधिनियम के अधिक भुगतान किये गये एक बार देय कर से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन वापसी की धनराशि की गणना करने में, उस अवधि के किसी भाग को जो एक मास से कम हो, छोड़ दिया जायेगा।

(5) किसी परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटर यान जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, का स्वामी द्वितीय अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर को वापस पाने का इस आधार पर हकदार होगा कि उसने ऐसे कर के भुगतान के पश्चात् ऐसे यान को स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लाने के फलस्वरूप ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मोटर यानों पर कर सम्बन्धी किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन ऐसे यान के सम्बन्ध में कर का भुगतान कर दिया है या ऐसे मोटर यान को परिवहन यान के रूप में परिवर्तित किया गया है या ऐसे मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है।

(6) जहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी पुराने मोटर यान के संबंध में एक बार देय कर से भिन्न कर का भुगतान कर दिया हो, कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटर यान, जिसके संबंध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, का उपयोग ऐसे कर या किस्त का अन्तिम बार भुगतान करने के समय से एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि तक नहीं किया गया है, वहां वह उतनी धनराशि वापस पाने का हकदार होगा, जितनी ऐसी अवधि जिसके लिए ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, के प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास के लिए ऐसे यान के संबंध में देय वार्षिक कर की दर के बारहवें भाग के बराबर हो :

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने कराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन, यदि कोई हो, उस अवधि के पूर्व जिसके लिए ऐसी वापसी का दावा किया जाय, अभ्यर्पित न कर दिया हो।

(7) किसी परिवहन यान का कोई संचालक, जो उपधारा (1) के अधीन कर वापस पाने का हकदार हो, यथास्थिति धारा 5 या धारा 6 के अधीन भुगतान किये गये अतिरिक्त कर के ऐसे भाग का जो उक्त अवधि के लिए आरोप्य हो, उपधारा (1) के अधीन वापस पाने का हकदार होगा और ऐसी वापस की गई धनराशि की गणना उन्हीं सिद्धान्तों पर की जायेगी, जैसा उक्त उपधारा में निर्धारित है।

[(8) जहां किसी मोटर यान का यथास्थिति संचालक या स्वामी अपने मोटर यान का उस यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उपयोग करने में असमर्थ है और उस यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन, यदि कोई हो और परमिट यदि कोई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ उस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिये जाते हैं, तो यह अभ्यर्पण दुर्घटना के दिनांक को किया गया समझा जायेगा।]

13— (1) प्रत्येक मोटर यान का स्वामी या संचालक विहित प्रपत्र में उसके संबंध में रखने

यान को उपयोगार्थ

एक घोषणा करेगा और विहित समय के भीतर कराधान अधिकारी को देगा और उसे इस घोषणा

वाले व्यक्ति द्वारा

अधिनियम की अपेक्षानुसार या उसके अधीन कर या अतिरिक्त कर, जिसका वह ऐसे यान के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा द्वारा देनदार प्रतीत होता हो, भुगतान करेगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1999 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}
14—19}

{धारा

(2) जहां किसी मोटर यान में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि उसका स्वामी या संचालक धारा 14 के अधीन बढ़े हुए कर या अतिरिक्त कर का देनदार हो जाय, वहां ऐसा स्वामी या संचालक विहित समय के भीतर विहित प्रपत्र में किये गये परिवर्तन की प्रकृति को दर्शाते हुए एक अतिरिक्त घोषणा करेगा और घोषणा कराधान अधिकारी को देगा और उसे धारा 14 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर में अन्तर का भुगतान करेगा।

14— जहां किसी ऐसे मोटर यान में जिसके संबंध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान

कर में अन्तर का

भुगतान कर दिया गया हो, इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि वह यान ऐसा यान हो जाय जिसके संबंध में अपेक्षाकृत ऊँची दर से कर या अतिरिक्त कर देय हो वहाँ उसका स्वामी या संचालक ऐसे यान के संबंध में इस प्रकार परिवर्तन करने के पश्चात् संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देय कर या अतिरिक्त कर की धनराशि के अन्तर का देनदार होगा।

15— (1) कराधान अधिकारी मोटर यान के संबंध में दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रीकरण

प्रमाण-पत्र में कर का भुगतान अभिलिखित करेगा और किसी परिवहन यान के मामले में विहित का

में कर के भुगतान

प्रपत्र में टोकन भी जारी करेगा।

अभिलेखन और

टोकन का

दिया जाना

(2) कराधान अधिकारी, इस निमित्त विहित प्रमाण-पत्र में जो उसके द्वारा जारी किया जायेगा, यथास्थिति, धारा 5 या धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का भुगतान अभिलिखित करेगा।

16— कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्रवेश

यान को रोकने और

अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर मोटर यान का ड्राइवर यान को रोकगा और रोक कर रखेगा जिससे कि वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन कर सके ऐसा करने के लिए ऐसा प्राधिकारी या अन्य अधिकारी यान में प्रवेश कर सकता है और उसमें यात्रा भी कर सकता है।

करने की शक्ति

17— (1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी का संचालक ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से दिया

समय सारणी का

जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी को अपनी मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान करने के समय को विनियमित करने वाली एक सारणी के साथ एक तिमाही में किये गये एकल यात्राओं की संख्या और अपने कारबार से संबंधित ऐसे अन्य विवरण देगा, जैसे कराधान अधिकारी समय-समय पर आदेश द्वारा अपेक्षा करे।

जाना

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समयमापनों या विवरण में किसी परिवर्तन की सूचना संचालक द्वारा कराधान अधिकारी को ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने के पन्द्रह दिन के भीतर दी जायगी।

18— (1) धारा 12 के अधीन कराधान अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

अपील

(2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

19— जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय या अनुवर्ती तत्सदृश अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

अपराधों का दण्ड

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}
20—24}

{धारा

परन्तु कोई न्यायालय ऐसे कारणों के सिवाय, जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए पांच सौ रुपये से कम का जुर्माना आरोपित नहीं करेगा।

20— (1) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूलीय होगा।

कर की वसूली

(2) इस अधिनियम के अधीन देय कर, अतिरिक्त कर और शास्ति मोटर यान, जिसमें उसके उप साधन भी हैं, पर जिसके संबंध में यह देय हो, प्रथम भार होगा।

21— अपील प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने वाला कराधान हाजिर

साक्षियों आदि को

अधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में ऐसी सभी शक्तियां होगी, जो किसी सिविल न्यायालय करने की

होने को प्रवृत्त

में किसी सिविल वाद की सुनवाई के समय निहित होती है :—

शक्ति

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर या अन्यथा उनकी परीक्षा करना और साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना या अनुरोध करना;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना; और

(ग) पूर्ववर्ती खण्डों में निर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके जारी किये गये आदेशों की अवज्ञा करने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्डित करना।

22— (1) जहां राज्य सरकार द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने	कर का भुगतान न
करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, का यान	की दशा में परिवहन
भुगतान किये बिना किसी परिवहन यान का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, वहां	को निरुद्ध करना
ऐसा अधिकारी परिवहन यान को अभिग्रहीत और निरुद्ध कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसी कार्यवाही कर सकता है या करा सकता है, जिसे वह परिवहन यान की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक समझे और विशेष रूप से, वह ऐसे परिवहन यान के ड्राइवर से उसे निकटतम पुलिस थाने या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक पहुंचने की अपेक्षा कर सकता है :	
परन्तु यान को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी ऐसे अभिग्रहण के अड़तालीस घंटे के भीतर संबंधित कराधान अधिकारी को ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट भेजेगा।	
(2) इस धारा के अधीन अभिग्रहीत या निरुद्ध किसी परिवहन यान को, कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देयों, जिनका भुगतान न करने के कारण यान इस प्रकार अभिग्रहीत या निरुद्ध किया गया था, का भुगतान करने पर, कराधान अधिकारी द्वारा तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।	
23— इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारिता	न्यायालयों की
अधिकारी द्वारा अपने कृत्यों के संबंध में प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही या जारी किये गये किसी आदेश या निदेश के बारे में किसी सिविल न्यायालय को कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।	पर रोक
24— (1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिये उपबन्धित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की वसूली पर शमन किया जा सकेगा।	अपराधों का प्रशमन
{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}	{धारा
25—28}	
(2) जब किसी अपराध का इस प्रकार शमन—	
(एक) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, तब अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजन का उत्तरदायी नहीं होगा;	
(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, तब शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्त का होगा और उस व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के लिये कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।	
25— कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान कराधान अधिकारी की ऐसे अपराध को बनाने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट पर के सिवाय नहीं करेगा।	अपराध का संज्ञान
26— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है अपराध	कम्पनियों द्वारा
तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा :	
परन्तु इस उपधारा की कोई बात से ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा, यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।	
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध	

उस कम्पनी के किसी सचिव, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिये —

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

27— इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये किसी आदेश

सद्भावना से किये

या निदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

कार्य का संरक्षण

28— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित

राज्य सरकार की

करने के लिए नियम बना सकती है।

बनाने की शक्ति

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है, अर्थात्—

(क) वह रीति, जिसके अनुसार और प्रपत्र जिसमें और प्राधिकारी, जिसे इस अधिनियम के अधीन कर या अतिरिक्त कर के भुगतान के लिये आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया जायेगा, विहित करना;

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}
29}

{धारा

(ख) किसी प्रमाण—पत्र, घोषणा, नोटिस, रसीद या टोकन का प्रपत्र और उसमें उल्लिखित किये जाने वाले विवरण और किसी मोटर यान पर टोकन प्रदर्शित करने की रीति, विहित करना;

(ग) वह रीति जिसके अनुसार फीस, जिसका भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन टोकन या प्रमाण—पत्र दिया या अन्तरित किया जा सकता है, विहित करना;

(घ) सामान्य रूप से ऐसे प्राधिकारियों को जिनके द्वारा और ऐसी रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के सम्बन्ध में या उससे आनुषंगिक किसी कर्तव्य का पालन किया जा सके, विहित करना;

(ङ) कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के भुगतान और उसकी वसूली की रीति को विनियमित करना;

(च) वह रीति विनियमित करना, जिसके अनुसार कर या अतिरिक्त कर से छूट और वापस की जाने वाली धनराशि का दावा किया जा सके और उसे स्वीकृत किया जा सके;

(छ) अपील के लिए फीस विहित करना और ऐसी रीति विनियमित करना, जिसके अनुसार अपील संस्थित की जा सके और उनकी सुनवायी की जा सके;

(ज) इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों या जारी नोटिसों की तामीली की रीति विहित करना;

(झ) धारा 17 के अधीन समय सारणी और अन्य विवरण प्रस्तुत करने का समय और रीति विहित करना;

(ञ) वह रीति विहित करना, जिसमें मार्गों को वर्गीकृत किया जाना है;

(ट) वह रीति विहित करना, जिससे उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना सहायता निधि प्रशासित की जायगी और उसका उपयोग किया जायगा;

(ठ) कोई अन्य विषय, जिसके लिये नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता है।

29— (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिये, करने

कठिनाइयों को दूर

अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगा:

की शक्ति

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी न्यायालय में इस आधार पर विवादग्रस्त नहीं किया जायगा कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}
30}

{धारा

30— (1) संयुक्त प्रान्त मोटर गाडी कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाडी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटर गाडी (माल कर) अधिनियम, 1964 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

निरसन और अपवाद

(2) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन का कोई प्रभाव ऐसे निरसन के दिनांक के पूर्व उपगत किसी दायित्व पर और किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को ऐसी अधिनियमितियों के अधीन लम्बित कार्यवाहियों पर नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् संस्थित उपर्युक्त किसी ऐसे दायित्व से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जारी रहेगी और उसका निस्तारण इस प्रकार किया जायेगा मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो।

प्रथम अनुसूची

{धारा-4 देखिए}

भाग 'क'

परिवहन यानों से भिन्न यानों का वर्गीकरण, जिनके संदर्भ में इस अनुसूची के भाग 'ख' और 'ग' और द्वितीय अनुसूची के भाग 'क' और 'ख' में दरें विहित की गयी हैं।

यानों का विवरण

अनुच्छेद

एक— मोटर साईकिल (जिसके अंतर्गत स्कूटर और मोपेड भी हैं)

(1) वजन में 80 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

(2) वजन में 80 किलोग्राम से अधिक, किन्तु 500 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

दो— (1) केवल व्यक्तियों और हल्का वैयक्तिक सामान ले जाने के लिए बनाये गये और उपयोग में लाये जाने वाले यान, जो मोटर साईकिल न हो और जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो।

(2) इस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले यानों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर।

तीन— ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए बनाये गये या उपयोग के लिए अपनाये गये 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले लदान रहित यान, जिसके अंतर्गत मोटर साईकिलें भी हैं।

- (1) (क) वजन से 2000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
 (ख) वजन में 2000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
 (ग) वजन में 3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 4000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
 (घ) वजन में 4000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 5000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
 (ङ) वजन में 5000 किलोग्राम से अधिक लदान रहित।
- (2) इस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले यानों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर।

भाग 'ख'

धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन यानों पर एक बार देय कर की दरें

एक बार देय कर की दर रुपये में

क्र०सं०	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार मोटरयान	उ०प्र० मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1987 में और पहली जनवरी, 1988 को या उसके पश्चात् और उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के पूर्व	वर्ष 1986 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1985 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1984 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1983 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1982 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1981 में रजिस्ट्रीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एक (1)	800.00	634.00	475.00	316.00	158.00	158.00	158.00	158.00
2	एक(2)	1500.00	1350.00	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00
3	दो (1)	यान के मूल्य का 2.5%	4589.00	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2138.00
4	दो (2)	605.00	557.00	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00
5	तीन (1)(क)	यान के मूल्य का 2.5%	5324.00	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00
6	तीन(1) (ख)	यान के मूल्य का 2.5%	7550.00	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00
7	तीन (1) (ग)	यान के मूल्य का 2.5%	10430.00	9486.00	8543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00
8	तीन (1) (घ)	यान के मूल्य का 2.5%	12209.00	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00
9	तीन (1)(ङ)	यान के मूल्य का 2.5% और 5000 कि०ग्रा० से अधिक प्रत्येक 1000 किलो०ग्रा० या उसके भाग के लिए 5324.00	12209.00 और 5000 कि०ग्रा० से अधिक प्रत्येक 1000 किलो०ग्रा० या उसके भाग के लिए 4888.00	11108.00 और 5000 कि०ग्रा० से अधिक प्रत्येक 1000 किलो०ग्रा० या उसके भाग के लिए 1113.00	10007.00 और 5000 कि०ग्रा० से अधिक प्रत्येक 1000 किलो०ग्रा० या उसके भाग के लिए 920.00	8906.00 और 5000 कि०ग्रा० से अधिक प्रत्येक 1000 किलो०ग्रा० या उसके भाग के लिए 823.00	7805.00 और 5000 कि०ग्रा० से अधिक प्रत्येक 1000 किलो०ग्रा० या उसके भाग के लिए 726.00	6703.00 और 5000 कि०ग्रा० से अधिक प्रत्येक 1000 किलो०ग्रा० या उसके भाग के लिए 629.00	5602.00 और 5000 कि०ग्रा० से अधिक प्रत्येक 1000 किलो०ग्रा० या उसके भाग के लिए 532.00
10	तीन (2)	1210.00	1113.00	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2000 की धारा 3(क) द्वारा भाग 'ख' तथा भाग 'ग' का प्रतिस्थापन।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{भाग 'ग'}

परन्तु यह कि भाग "क" के अनुच्छेद दो (1), तीन(1)(क), तीन (1)(ख), तीन (1) (ग), तीन (1) (घ) और तीन (1)(ङ) से आच्छादित और उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत यानों पर एक बार देय कर की दर 5000.00 रुपये से कम नहीं होगी :

परन्तु यह और कि निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल से चलने वाले समस्त मोटर यानों के सम्बन्ध में कर की दरें इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी, अर्थात् —

(क) एकल व्यक्ति;

(ख) नगर पालिका परिषद्, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत;

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय;

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था;

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त न्यास;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक परियोजनाओं के लिए मोटरयानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति :

परन्तु यह भी कि डीजल से चलने वाले समस्त मोटर यानों के कर की दर इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दूगुनी होगी।

भाग "ग"

धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन (एक बार देय कर से भिन्न) कर की दरें
क्रम सं० भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार यान कर की वार्षिक दर
(रूपये में)

1	2	3
1	एक (1)	90.00
2	एक (2)	150.00
3	दो (1)	500.00
4	दो (2)	55.00
5	तीन (1) (क)	528.00
6	तीन (1)(ख)	748.00
7	तीन (1)(ग)	1034.00
8	तीन (1)(घ)	1210.00
9	तीन (1)(ङ.)	1210.00
और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 484.00 रूपये		
10	तीन (2)	110.00

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{भाग 'घ' }

परन्तु निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल से चलने वाले समस्त मोटरयानों के सम्बन्ध में कर की दरें इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होंगी, अर्थात् –

(क) एकल व्यक्ति;

(ख) नगरपालिका परिषद्, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत;

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय;

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था;

(ङ.) कोई सार्वजनिक पूर्त न्यास;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिए मोटरयानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति :

परन्तु यह और कि डीजल से चलने वाले समस्त मोटरयानों के कर की दर इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी।²

भाग "घ"

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दरें

अनुच्छेद
दरें

यान का विवरण

कर की त्रैमासिक

(रूपयें में)

1

2 3

एक यात्रियों के सवारी के लिए और यात्रियों के हल्के वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिये चलने वाले यान—

(1) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर तीन से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान 95.00 हो;

(2) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो; 185.00

(3) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो;

(क) तीन पहियों वाले 185.00

(ख) अन्य 230.00

(4) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक किन्तु बारह से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो;

(क) यदि 'क' वर्ग के मार्गों पर उपयोग के लिए आशयित हो; 350.00

(ख) यदि 'ख' वर्ग के मार्गों पर उपयोग के लिए आशयित हो; {201.00}¹

(5) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर बारह से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1999 की धारा 4(क)(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2000 की धारा 3(क) द्वारा भाग 'ख' तथा भाग 'ग' का प्रतिस्थापन।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{भाग 'घ' }

(क) यदि 'क' वर्ग के मार्गों पर उपयोग के लिए आशयित हो;

(एक) प्रथम बारह सीटों के लिए

350.00

(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए

30.00

(ख) यदि 'ख' वर्ग के मार्गों पर उपयोग के लिए आशयित हो;

(एक) प्रथम बारह सीटों के लिए

{201.00

(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए

08.00}¹

(6) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर बीस से अधिक किन्तु पैंतीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो;

(क) यदि 'क' वर्ग के मार्गों पर उपयोग के लिए आशयित हो;

590.00

(एक) प्रथम बीस सीटों के लिए

35.00

(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए

(ख) यदि 'ख' वर्ग के मार्गों पर उपयोग के लिए आशयित हो; {265.

00 (एक) प्रथम बीस सीटों के लिए 11.50.00}²

प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए

(दो)

(7) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर पैंतीस से अधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो—

(क) यदि “क” वर्ग के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो;
प्रत्येक

1115.00 और पैंतीस से अधिक
स्थान के लिए 45.00

रूपया (ख) यदि “ख” वर्ग के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो;
प्रत्येक

[438.00 और पैंतीस से अधिक
स्थान के लिए 17.00 रूपया]³

स्पष्टीकरण:— इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये, खंडे रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, का पचास प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जायेगा।

(दो) सीमित संख्या में यात्रियों के सवारी के लिये और यात्रियों के वैयक्तिक माल के 45.00 परिसीमित मात्रा का परिवहन करने के लिये भाड़े पर चलने वाले यान, यात्रियों के सीटों की प्राधिकृत संख्या के सम्बन्ध में अनुच्छेद एक के अधीन देय कर के अतिरिक्त यान के [सकल यान भार]⁴ के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये—

(तीन) केवल माल के परिवहन के लिये चलाये जाने वाले यानी जिसके अन्तर्गत ट्रैक्टरों से संलग्न ऐसे ट्रेलर नहीं है, जिनका उपयोग केवल कृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता है, के [सकल यान भार]⁴ के प्रत्येक मीट्रिक टन या उनके भाग के लिये—

(एक) एक सम्भाग के लिये 70.00

(दो) एक से अधिक सम्भाग के लिये 85.00

(चार) ट्रैक्टर जिसके द्वारा ट्रेलर खींचा जाता है जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाता है :—

उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या टेलरों के सम्बन्ध में भुगतान किये 45.00 गये कर के अतिरिक्त कर।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1999 की धारा 4(क)(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 4(क)(3) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 4(क)(4) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 4(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{भाग ‘क’ }

स्पष्टीकरण:— (एक) जहां पर किसी मोटर यान का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये या ऐसी रीति से, किया जाता है, जिससे कि वह इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेदों के अधीन कर योग्य हो जाय, वहां देय कर सबसे ऊँची समुचित दर पर होगी।

(दो) जहां कोई मोटर यान स्लीपिंग बर्थ से सज्जित हो, वहां प्रत्येक स्लीपिंग बर्थ को इस भाग के अनुच्छेद एक और दो के प्रयोजनों के लिये दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा।

(तीन) किसी मोटर यान से संलग्न या उसके द्वारा खींचा जाने वाला प्रत्येक ट्रेलर, जो इस भाग के अनुच्छेद दो, तीन और चार में से किन्हीं के अधीन कर योग्य हो, एक पृथक मोटर यान समझा जायेगा जिस पर उक्त अनुच्छेद में यथा विनिर्दिष्ट समुचित कर लगेगा।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 12 देखिये)

¹{भाग “क”

धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें
कम प्रथम अनुसूची के भाग “क” के मोटर यान के उपयोग न किये जाने के प्रत्येक
सं० अनुच्छेद के अनुसार यान मास के लिये वापस की जाने वाली धनराशि
(रूपये में)

- | | |
|---------------|-------|
| 1 एक (1) | 3.00 |
| 2 एक (2) | 5.00 |
| 3 दो (1) | 20.00 |
| 4 दो (2) | 2.00 |
| 5 तीन (1) (क) | 24.00 |
| 6 तीन (1) (ख) | 34.00 |

7 तीन (1) (ग) 47.00

8 तीन (1) (घ) 55.00

9 तीन (1) (ङ.) 55.00

और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000

किलोग्राम या उसके भाग के लिये 22.00 रुपये

10

तीन (2)

5.00

परन्तु यह कि ऐसे समस्त मोटर यानों, जिनके सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' के परन्तुक के अधीन दोगुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो, के सम्बन्ध में वापसी की दरें उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी।

भाग 'ख'

धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें

क्र०	प्रथम अनुसूची	एक वर्ष से	एक वर्ष से	दो वर्ष से	तीन वर्ष से	चार वर्ष से	पांच वर्ष से	छः वर्ष से			
सात वर्ष से	आठ वर्ष से	नौ वर्ष से	दस वर्ष से								
सं०	के भाग "क" के अनुच्छेद के वर्ष से अनुसार यान हो	अधिक न हो	अधिक किन्तु दो वर्ष से अधिक न हो	अधिक किन्तु तीन वर्ष से अधिक न हो	अधिक किन्तु चार वर्ष से अधिक न हो	अधिक किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो	अधिक किन्तु छः वर्ष से अधिक न हो	अधिक किन्तु सात वर्ष से अधिक न हो	अधिक किन्तु आठ वर्ष से अधिक न हो		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एक (1)	475.00	317.00	158.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	एक (2)	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	300.00	168.00	शून्य	शून्य
3	दो (1)	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2130.00	1720.00	1311.00	शून्य	शून्य
4	दो (2)	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00
5	तीन (1) (क)	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00
6	तीन (1) (ख)	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00
7	तीन (1) (ग)	9486.00	7543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00
8	तीन (1) (घ)	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00
9	तीन (1) (ङ.)	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00
		और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	और 5000	और 5000
		कि०ग्रा० से अधिक	कि०ग्रा० से अधिक	कि०ग्रा० से अधिक	कि०ग्रा० से अधिक	कि०ग्रा० से अधिक	कि०ग्रा० से अधिक	कि०ग्रा० से अधिक	कि०ग्रा० से अधिक	कि०ग्रा० से अधिक	कि०ग्रा० से अधिक
		प्रत्येक 1000	1000 कि०ग्रा०	1000 कि०ग्रा०	प्रत्येक 1000	प्रत्येक 1000	प्रत्येक 1000	प्रत्येक 1000	प्रत्येक 1000	प्रत्येक 1000	प्रत्येक 1000
		कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये	कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये	कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये	कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये	कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये	कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये	कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये	कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये	कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये	कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये
		4017.00	3582.00	3146.00	2710.00	2275.00	1839.00	1404.00	532.00		
		4453.00	968.00								
		00									

10 तीन (2)	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00
145.00 शून्य									

परन्तु यह कि वापसी की दरें उन समस्त यानों के सम्बन्ध में जिनके सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' के परन्तुक के अधीन दो गुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो उपर्युक्त धनराशियों की दोगुनी होगी।¹

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2000 की धारा 4 द्वारा भाग 'क' तथा भाग 'ख' का प्रतिस्थापन।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}
अनुसूची}

{तृतीय

तृतीय अनुसूची

(धारा 5 देखिये)

माल वाहनों पर अतिरिक्त कर की दरें

(क) पर्वतीय मार्गों और मैदानी मार्गों पर संचालित माल वाहनों पर अतिरिक्त कर दी दरें
अनुच्छेद संचालन क्षेत्र प्रति तिमाही अतिरिक्त कर की दर
एक पर्वतीय मार्ग यान के प्रति मीट्रिक टन {सकल यान भार}¹ या
उसके भाग के लिए रुपये 210.00

दो मैदानी मार्ग

(एक) एक सम्भाग के लिए

(दो) एक से अधिक सम्भाग के

लिए

यान के प्रति मीट्रिक टन {सकल यान भार}¹ या उसके भाग के लिए रुपये 85.00

यान के प्रति मीट्रिक टन {सकल यान भार}¹ या उसके भाग के लिए रुपये 110.00;

{परन्तु यह कि कृषि उपज, खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम माल का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले माल वाहनों के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर की दर अनुच्छेद एक और दो के सामने विनिर्दिष्ट दर की आधी होगी।²}

स्पष्टीकरण— (1) जहां कोई मोटर यान इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेद के अधीन कर योग्य हो, वहां अतिरिक्त कर सबसे ऊंची समुचित दर पर देय होगा।

(2) पद "पर्वतीय मार्ग" का तात्पर्य उन समस्त सड़कों से है जो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, {उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर, टिहरी, गढ़वाल}³ जिलों और देहरादून जिले की तहसील चकराता के भीतर पड़ते हैं और नैनीताल, उधमसिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल जिले के वे भाग जो तराई (बेस आफ दी फुट हिल्स) के उत्तर में है और पूर्व में टनकपुर से सीधे काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार होते हुये पश्चिम में लक्ष्मण-झूला तक है और देहरादून नगर की नगरपालिका सीमा के बाहर की सभी सड़कों भी है जो मंसूरी की ओर जाती हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य द्वारा या किसी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन प्रदान की गई राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहनों पर प्रत्येक वर्ष या उसके किसी भाग के लिये अतिरिक्त कर 5000.00 रुपये होगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1999 की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 5 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 6 देखिये)

मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें

एक — मैदानी क्षेत्रों में {***}² झांसी सम्भाग को छोड़कर संचालित यानों के सम्बन्ध में, ओमिनी बस के अलावा जब वह

ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग की जाय—

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें—

क0 सं0 एक तिमाही में तय की गयी दूरी
(कि0मी0 में)

तिमाही अतिरिक्त कर की धनराशि

क—वर्ग के मार्गों पर

ख—वर्ग के मार्गों पर

(रूपये में)

(रूपये में)

1. 4500 तक	{133.00}₃	{156.00}₁
2. 4500 से अधिक किन्तु 5700 से अनधिक	{169.00}₃	{197.00}₁
3 5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	{214.00}₃	{248.00}₁
4 7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	{267.00}₃	{311.00}₁
5 9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	{347.00}₃	{404.00}₁
6 11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	{428.00}₃	{498.00}₁
7 14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	{534.00}₃	{622.00}₁
8 18000 से अधिक	{534.00 और प्रत्येक 4500 कि0मी0 या उसके भाग के लिये लिये 133.00 रूपया}₃	{622.00 और प्रत्येक 4500 कि0मी0 या उसके भाग के लिये रु0 156.00}₁

यह कि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर संचालित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर 4200.00 रूपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट नहीं हैं और 6000.

00 रूपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 से अधिक सीटें हैं, होगा।

(ख) विशेष अवसरों पर जैसे मेला और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने और

बारात, पर्यटक पार्टियां या ऐसी अनय आरक्षित पाटियों की सवारी के लिये, जारी किये गये अस्थाई परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें—

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1999 की धारा 6 द्वारा अनुच्छेद—(1) (क) द्वारा कमशः (एक) से (आठ) तक स्तम्भ 4 को प्रतिस्थापित किया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30 वर्ष 1999 की धारा 2(क) द्वारा शब्द “मेरठ और” निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा कमशः (एक) से (आठ) तक प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{चतुर्थ अनुसूची}

(एक) ऐसे यानों के लिये, जिनमें ड्राइवर और उतने दिनों के लिए जितने दिन के लिए अस्थाई कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान हो

परमिट जारी किए गए, प्रस्तर एक के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त रूपये 135.00 प्रतिदिन

(दो) ऐसे यानों के लिये जिनमें ड्राइवर और उतने दिनों के लिये जितने दिन के लिए, अस्थाई कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक बैठने का स्थान हो।

परमिट जारी किए अनुच्छेद एक के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त रूपये, 225.00 प्रतिदिन

परन्तु यह कि एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स और वातानुकूलित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें

निम्नलिखित होंगी—

(एक) एक्सप्रेस
के

अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख)

अधीन देय करों से पांच प्रतिशत अधिक।

(दो) सेमी डीलक्स
के

अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख)

अधीन देय करों से आठ प्रतिशत अधिक।

(तीन) डीलक्स
के

अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख)

अधीन देय करें से बीस प्रतिशत अधिक।

(चार) वातानुकूलित
के

अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख)

अधीन देय करें से पचास प्रतिशत अधिक।

{परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं

की जायेगी, जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित

की गयी हों।}

दो — पर्वतीय क्षेत्र में संचालित यानों के सम्बन्ध में ओमनी बस के अलावा, जब वह ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग की जाय,

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें:—

कम 0 सं 0 एक तिमाही में तय की गई दूरी (किलोमीटर में)	तिमाही कर की धनराशि
1 4500 तक	{140.00}₂
2 4500 से अधिक किन्तु 5700 से अनधिक	{177.00}₂
3 5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	{223.00}₂
4 7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	{280.00}₂
5 9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	{364.00}₂
6 11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	{447.00}₂
7 14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	{559.00}₂
8 18000 से अधिक	{559.00 और प्रत्येक 4500
कि 0 मी 0 या	उसके भाग के लिये 140.00 रूपया}₂

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1999 की धारा 6 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।

2. उपर्युक्त की धारा 6 के अनुच्छेद—(2) (क) द्वारा कमशः (एक) से (आठ) तक स्तम्भ 3 को प्रतिस्थापित किया गया।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{चतुर्थ अनुसूची}

परन्तु यह कि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर संचालित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर

4200.00 रूपया प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट नहीं है और 6.000

रूपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में, जिसमें 35 सीट से अधिक सीट है, होगा।

(ख) विशेष अवसरों पर जैसे मेलों और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने और बारात, पर्यटक पार्टियों या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिए जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें :-

(एक) ऐसे यानों के लिए, जिसमें ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का

उतने दिनों के लिए जितने दिन के लिए अस्थायी परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद दो के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 135.00 रूपया

स्थान न हो।

प्रतिदिन।

(दो) ऐसे यानों के लिए, जिनमें ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का

उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए अस्थायी परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद दी के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 225.00 रूपया

स्थान हो।

प्रतिदिन।

परन्तु यह कि एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स और वातानुकूलित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें

निम्नलिखित होंगी:-

(एक)	एक्सप्रेस
(दो)	सेमी डीलक्स
(तीन)	डीलक्स
(चार)	वातानुकूलित

अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से पांच प्रतिशत अधिक।
अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से आठ प्रतिशत अधिक।
अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से बीस प्रतिशत अधिक।
अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से पचास प्रतिशत अधिक।

{परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं

की जायेगी, जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित की गयी हों।}

तीन— { * * * }₂

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1999 की धारा 6 के अनुच्छेद (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 वर्ष 1999 की धारा 2 (ग) द्वारा अनुच्छेद तीन को निकाल दिया गया।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{चतुर्थ अनुसूची}

चार — झांसी सम्भाग के संचालित, यानों के सम्बन्ध में ओमनी बस के अलावा जब वह ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग की

जाय।

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दर:-

क0 एक तिमाही में तय की गई दूरी तिमाही कर की राशि

सं0	(किलोमीटर में) "क" वर्ग के मार्ग	"ख" वर्ग के मार्ग (रूपये)	(रूपये)
1	4500 तक	{104.00	117.00
2	4500 से अधिक किन्तु 5700 से अनधिक	132.00	148.00
3	5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	167.00	186.00
4	7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	209.00	233.00
5	9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	272.00	303.00
6	11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	335.00	374.00
7	14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	418.00	466.00
8	18000 से अधिक	418.00 और प्रत्येक 4500	466.00 और प्रत्येक 4500

किलोमीटर या उसके भाग किलोमीटर या उसके भाग

के लिये 104.00 रुपये के लिये 117.00 रु0}

परन्तु यह कि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर संचालित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर 4200.00

रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 सीट नहीं है और 6000.00 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली

गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट है, होगा।

(ख) विशेष अवसरों पर जैसे मेलों और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से जाने और बारात,

पर्यटक पार्टियों या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिये जारी किये गये अस्थाई परमिट के अन्तर्गत आने वाली

मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें:—

(एक) ऐसे यानों के लिए जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान न हो।

(दो) ऐसे यानों के लिए जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान हो।

उतने दिनों के लिये जितने दिन के लिए अस्थाई परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद चार के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 135.00 रुपया प्रतिदिन।

उतने दिनों के लिये जितने दिनों के लिए अस्थाई परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद चार के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 225.00 रुपया प्रतिदिन।

परन्तु एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स और वातानुकूलित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें निम्नलिखित होंगी:—

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1999 की धारा 6 के अनुच्छेद 4 (क) द्वारा क्रमशः 1 से 8 तक स्तम्भ 3 तथा स्तम्भ 4 प्रतिस्थापित।
[उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997]

[चतुर्थ अनुसूची]

(एक) एक्सप्रेस
के

अनुच्छेद चार के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख)

अधीन देय करों से पांच प्रतिशत अधिक।

(दो) सेमी डीलक्स

अनुच्छेद चार के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से आठ प्रतिशत अधिक।

(तीन) डीलक्स
के

अनुच्छेद चार के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख)

अधीन देय करों से बीस प्रतिशत अधिक।

(चार) वातानुकूलित

अनुच्छेद चार के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से पचास प्रतिशत अधिक।

{परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं की जायेगी, जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित की गयी हों।}

पाँच— ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में—

(क) उत्तर प्रदेश के भीतर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 74 या धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी की गई परमिट के अन्तर्गत :—

तिमाही कर की दरें रुपये में

{(एक) ड्राइवर को छोड़कर 3 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली 225.00
मोटर टैक्सी

(एक—क) ड्राइवर को छोड़कर 3 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 6 व्यक्तियों से 450.00
अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली तिपहिया मोटर टैक्सी

(एक—ख) उपखण्ड (एक) और (एक—क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न मोटर टैक्सी 675.00

(दो) बड़ी टैक्सी 4500.00²

(तीन) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 12 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 20 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली गाड़ियों के लिये। 13709.00

(चार) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 41 व्यक्तियों से अनधिक के बैठने वाली गाड़ियों के लिये। 20563.00

(पाँच) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों या उससे अधिक के बैठने वाले यानों के लिये। 24646.00

(छः) डीलक्स बस के लिये 29786.00

(सात) वातानुकूलित बस के लिये 34499.00

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटर वेहिकल्स (आल इंडिया परमिट फार

टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स 1993 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिट के अन्तर्गत:—

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1999 की धारा 6 के अनुच्छेद 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 6(5) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{चतुर्थ अनुसूची}

तिमाही कर की धनराशि (रूपयों में)

(एक) मोटर टैक्सी	300.00
(दो) बड़ी टैक्सी 3000.00	
(तीन) ओमनी बस	12000.00

स्पष्टीकरण—

- (1) इस अनुसूची के अधीन किसी मंजिली गाड़ी पर देय कुल तिमाही कर उपर्युक्त {अनुच्छेद एक, दो}¹ और चार में दिये गये दरों की उतनी गुनी होगी, जितनी मोटरयान अधिनियम, 1988 के सुसंगत उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीटों की अधिकतम संख्या है। इस प्रयोजन के लिये किसी मंजिली गाड़ी के खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, के पचास प्रतिशत स्थान को अतिरिक्त बैठने की क्षमता माना जायेगा और किसी सीट के भाग की गणना एक सीट के रूप में की जायेगी।
- (2) इस अनुसूची के {अनुच्छेद एक, दो}² और चार में से प्रत्येक के उपखण्ड (क) के अधीन किसी मंजिली गाड़ी की एक तिमाही में तय की गई दूरी उतनी होगी, जितनी एक तरफ के फेरों की ऐसी संख्या को जैसी परमिट की शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाय ऐसे एक फेरे में अन्तर्ग्रस्त कुल किलोमीटर से गुणा करने पर प्राप्त हो।
- (3) ऐसे समय तक जब तक कि यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकारी या सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा सारणी समय मापनो और फेरों का निर्धारण नहीं कर दिया जाता है, कोई संचालक इस अधिनियम के प्रवर्तन के पूर्व यान द्वारा संचालित फेरों के आधार पर प्राप्त तिमाही तय की गई दूरी पर अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा।
- (4) एक्सप्रेस मंजिली गाड़ी का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो—
 - (क) ऐसे मार्ग पर संचालित हो उसकी लम्बाई 200 किलोमीटर से कम न हो और जो केवल जिला और तहसील मुख्यालय पर रुकती हो;
 - (ख) निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो—
 - (एक) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40X38.5 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए;
 - (1) प्रत्येक यात्री सीट—
 - (2) कुशन 9 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए;
 - (3) 2.5 सेंटीमीटर मोटे कुशन की 56 सेंटीमीटर ऊंची बैक रैस्ट वाली, जिसमें 40/15.24*23 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए और जिस पर टेरीकोट रैक्सीन कवर हों।
 - (दो) बैठने की व्यवस्था सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 66.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ-साथ पैर रखने के लिए 28 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।
 - (तीन) खिड़कियां—केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 113 सेंटीमीटर चौड़ी, जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 वर्ष 1999 की धारा 2 (घ)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 2(घ)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}
अनुसूची}

{चतुर्थ

(चार) ड्राइवर केबिन—ड्राइवर का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

(पांच) श्रवण प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए।

(5) सेमी डीलक्स मंजिली गाड़ी" का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो निम्नलिखित विशिष्टियों के अनुरूप हो—

(एक) प्रत्येक यात्री सीट—

1. प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40*40 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए;
2. कुशन 9 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए;
- 3.5 सेंटीमीटर मोटे फोम के कुशन की रैक्सीन कवर के साथ 61 सेंटीमीटर ऊंची बैक रैस्ट वाली जिसमें 40 / 17.78X26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(दो) बैठने की व्यवस्था— सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ-साथ पैर रखने के लिए 30 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(तीन) खिड़कियां— केन्द्रीय मोटर नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गयी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों।

(चार) डाइवर केबिन— डाइवर का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए;

(पांच) श्रवण प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए।

(6) "डीलक्स मंजिली गाड़ी" या डीलक्स बस" का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो—

(एक) प्रत्येक यात्री सीट—

1. प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 45.8*45.8 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए;
2. की कुशन 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए;
- 3.5 सेंटीमीटर मोटे की कुशन फोम रैक्सीन या टैपेस्टी कवर के साथ 71.2 सेंटीमीटर ऊंची बैक रैस्ट वाली जिसमें 40 / 17.78*26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(दो) बैठने की व्यवस्था— सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ-साथ पैर रखने के लिए 38 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(तीन) खिड़कियां— भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिये गये मानकों के अनुसार 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी जिसमें फिल्मयुक्त सुरक्षा शीशे लगे हों।

(चार) ड्राइवर केबिन— ड्राइवर का केबिन पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, और

(पांच) वीडियो प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{पांचवी

अनुसूची}

(7) इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए ड्राइवर और कण्डक्टर की सीट को सीट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) जहां कोई मोटरयान इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेदों के अधीन कर योग्य हो वहां देय अतिरिक्त कर सबसे ऊंची समुचित दर पर होगा।

(9) पर्वतीय क्षेत्र का तात्पर्य निम्नलिखित से है इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे—

(क) पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, {उत्तकाशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल}¹ के जिले;

(ख) जिला देहरादून की तहसील चकराता;

(ग) नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और पोड़ी गढ़वाल जिले के वे भाग जो तराई के उत्तर में हैं और पूर्व में टनकपुर से सीधे काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार होते हुए पश्चिम में लक्ष्मणझूला तक है;

(घ) देहरादून की नगरपालिका सीमा के बाहर मसूरी की ओर पड़ने वाला क्षेत्र।

(10) "झांसी सम्भाग" का तात्पर्य ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, {महोबा, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर और बांदा}², जिलों से है।

(11) {***}³

(12) इस अनुसूची में, "नगर निगम" और 'नगर पालिका' का क्रमशः वही तात्पर्य होगा, जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिया गया है।

पांचवी अनुसूची

(धारा 6 देखिये)

धारा 6 के अधीन राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा देय अतिरिक्त कर का फार्मूला—

छ X 21

121

इस अनुसूची में "छ" का तात्पर्य किसी कलेण्डर मास के दौरान यात्री यातायात पर सकल प्राप्तियों से है।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1999 की धारा 6 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 6 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 वर्ष 1999 की धारा 2 (घ) (तीन) द्वारा निकाला गया।

{उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997}

{छठी अनुसूची}

छठी अनुसूची

(धारा 10 देखिये)

उत्तर प्रदेश में अंशतः पड़ने वाले किसी अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिए ऐसे प्राधिकरणों द्वारा जिनकी उत्तर

प्रदेश के बाहर अधिकारिता हो, स्वीकृत अनुज्ञा पत्र के अधीन चलने वाले माल और वाहन, सार्वजनिक सेवा यान

द्वारा धारा 10 के अधीन देय अतिरिक्त कर की दरें:—

एक— माल वाहन

अस्थाई परमिट के अधीन उत्तर प्रदेश में माल वाहन के संचालन के दिनों की संख्या के लिए प्रतिदिन 22.00 रुपये—

दो— लोक सेवा यान

(क) साधारण बस	375.00 रुपये प्रतिदिन	अस्थाई परमिट के अधीन उत्तर प्रदेश में साधारण
(ख) एक्सप्रेस बस	410.00 रुपये प्रतिदिन	एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स या वातानुकूलित
(ग) सेमी डीलक्स बस	450.00 रुपये प्रतिदिन	बस के संचालन के दिनों की संख्या के लिए।
(घ) डीलक्स बस	525.00 रुपये प्रतिदिन	
(ङ) वातानुकूलित बस	600.00 रुपये प्रतिदिन	

स्पष्टीकरण:— इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिये "डीलक्स बस" का वही तात्पर्य होगा जो चौथी अनुसूची के स्पष्टीकरण (6) में इसके लिये दिया गया है।

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1997

[U.P. ACT NO. 21 OF 1997]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the preposition of tax in the State on motor Vehicles and additional tax an motor vehicles engaged in the transport of passengers and goods for hire.

It is hereby enacted in the forty eighth Year of the Republic of India as follows:-

short title,
1997.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act,

extent and
commencement
Pradesh.

(2) It extends to the whole of Uttar

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint in this behalf and different dates may be appointed for different provisions.

Definitions

2. In this Act—

(a) “additional tax” means a tax imposed under section 5 or section 6 in addition to the tax imposed under section 4;

(b) “Appellate Authority” means the Transport Commissioner Uttar Pradesh or any other officer appointed by the State Government as Appellate Authority;

(c) “certificate of registration” means the certificate issued by a competent authority to the effect that a motor vehicle has been duly registered in accordance with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 or any other law for the time being in force relation to registration of motor Vehicles;

(d) “good carriage” means any motor vehicle constructed or adapted wholly or partly for use for the carriage of goods, or any motor vehicle not so constructed or adapted when used for the carriage of goods either solely or in addition to passengers and includes a trailer but does not include a motor cab, or a maxi cab or a contract carriage or stage carriage where such contract carriage or stage carriage is authorized to carry a limited quantity of load;

(e) “limited quantity of load” means such quantity of load, not exceeding the limits determined by the transport commissioner, Uttar Pradesh as the Registering Authority may specify in the registration certificate in respect of a vehicle;

(f) “old motor vehicle” means a motor vehicle other than a transport vehicle registered prior to February 5, 1988 under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1939;

(g) “operator” in respect of a transport vehicle means a person whose name is entered in the permit or in an authorization certificate issued under the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Special Provisions) Act, 1976, and where there is no such permit or authorization certificate the person whose name is entered in the certificate of registration in respect of such vehicle and where the transport vehicle is the subject of a hire purchase agreement the person in possession of the vehicle under that agreement and where any such person is a minor, the guardian of such minor;

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Section 3-

4]

(h) “owner” in respect of a motor vehicle means the person whose name is entered in the certificate of registration issued in respect of such vehicle and where such vehicle is the subject of an agreement of hire purchase or lease or hypothecation, the person in possession of the vehicle under that agreement and where any such person is a minor, the guardian of such minor;

(i) “passenger” in relation to a public service vehicle means any person travelling in a public service vehicle, but does not include the operator, the driver, the conductor or an employee of the operator of the public service

vehicle travelling in the bonafide discharge of his duties in connection with the public service vehicle;

(j)“quarter” means a period of three calendar months expiring on the last day of March, June, September or December;

(k)“region” means the area specified as a region under sub-section (1) of section 68 of the motor Vehicles Act, 1988 and includes a sub-region as may be specified by the State Government from time to time;

(l)“tax” means any tax levied under section 4;

(m)“Taxation Officer” means an officer, appointed as such by the State Government and includes any other officer on whom all or any or the powers of the Taxation Officer are conferred by a general or special order of the State Government;

(n)“transport vehicle” means a goods carriage or a public service vehicle;

(o) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Motor Vehicles Act, 1988, shall have the respective meaning assigned to them in that Act.

Power to
exempt

3. (1) The State Government may, by rule or notified order, subject to such conditions and for such period, as may be specified, exempt, either wholly or partially, any motor vehicle or class of motor vehicles operation in furtherance of any educational, medical, philanthropic or other public purpose from—
 - (a) the operation of this Act or any provision thereof, or
 - (b) the payment of any tax under this Act.
- (2) The exemption granted, or the conditions for the exemption imposed, under sub-section (1) may be made effective retrospectively but not from a date earlier than the commencement of the financial year.
- (3) The State Government may, in the like manner withdraw any exemption granted under sub-section (1) but such withdrawal shall not operate retrospectively.

Imposition of
motor tax

4. (1) Save as otherwise provided in this Act or the rules made thereunder, no vehicle other than a transport vehicle, shall be used in any public place in Uttar Pradesh unless a one-time tax at the rate applicable in respect of such motor vehicle, as specified in part ‘B’ of the First Schedule has been paid in respect thereof:

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Section 5]

[Provided that where a one-time tax that in respect of any such Motor vehicle has been paid before the commencement of the Uttar Pradesh Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2000 and such Tax has not been refunded under sub-section (5) of section 12, no tax under this sub-section shall be payable in respect thereof after such commencement :

Provided further that in respect of an old Motor Vehicle instead of a one-time tax, annual tax applicable to such motor vehicle, as specified in Part ‘C’ of the First Schedule may be paid.]¹

- (2) Save as otherwise provided by or under this Act no transport vehicle shall be used in any public place in Uttar Pradesh unless a tax at the rate

applicable to such motor vehicle, as specified in part 'D' of the first schedule has been paid in respect thereof.

- (3) Where any motor vehicle other than a transport vehicle, in respect whereof onetime tax has been paid, is operated as a transport vehicle, the tax payable under this Act on such transport vehicle shall be payable.

[(4) The State Government may, by notification, increase by not more than fifty per cent, the rates of tax, specified in Part 'B', Part 'C' or Part 'D' of the First Schedule.]²

Additional tax
goods
carriages

5. (1) Save as otherwise provided by or under this Act no goods carriage shall be on operated in any public place in Uttar Pradesh, unless there has been paid in respect thereof, in addition to the tax payable under section 4, an additional tax at the rate applicable to such goods carriage specified, as the case may be, in---

(a) Third Schedule, in the case of the goods carriage plying under permits granted by authorities having jurisdiction within Uttar Pradesh, or

(b) Part 'B' of the Third Schedule, in the case of goods carriage operating under national permit granted under sub-section (12) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.

(c) Sixth schedule, in the case of the goods carriage plying under permits granted by authorities having jurisdiction outside Uttar Pradesh for inter State route party lying in Uttar Pradesh.

Provided that the State Government may, by notification, increase by not more than fifty percent, the rates of additional tax specified in the said schedules.

- (2) Where any reciprocal agreement relating to taxation of goods carried by road is entered into between the Government of Uttar Pradesh and any other State Government or a Union Territory, the levy of additional Tax under the sub-section (1) shall, notwithstanding anything contained in the said sub-section, be in accordance with the terms and conditions of such agreement;

1. Substituted by section 2(a) of U.P. Act No. 4 of 2000.

2. Subs. by section 2(b) ibid.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]
9]

[Section 6-

Provided that the additional tax so levied shall not exceed the additional tax, which could have otherwise been levied under this Act.

Additional tax
public on public
service vehicle

6. (1) Save as otherwise provided in this Act or the rules made thereunder, no service vehicle, other than those owned or controlled by the State Transport Undertaking shall be operated in any public place in Uttar Pradesh unless there has been paid in respect thereof, in addition to the tax payable under section 4, an additional tax at the rate applicable to such public service vehicle specified in the Fourth Schedule;

Provided that the State Government may, by notification, increase by not more than fifty percent, the rates of additional tax specified in the said schedule.

	(2) The additional tax in respect of a public service vehicle owned or controlled by a State Transport undertaking shall be levied and paid in accordance with the formula specified in the fifth schedule.
	(3) Where a public service vehicle is wholly or partially exempted from the payment of additional tax by or under this Act a surcharge for the purpose of the fund established under section 8 shall be levied on its operator at the rate of five percent of the additional tax that would have been payable on such vehicle had it not been so exempted and such amount shall be credited to the said fund.
Classification of routes for determining additional tax	7. (1) For the purpose of determining the amount of the tax payable in respect of transport vehicle under the first schedule or for determining additional tax payable under the fourth schedule all routes in Uttar Pradesh shall be tax or classified by the prescribed authority as 'A' Class routes or "B" Class routes in such manner as may be prescribed. (2) Until the routes are classified under sub-section (1)--- (i) "Special Class" and "A-Class" routes classified under the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935 shall be the "A-Class" routes under this Act, and (ii) "B-Class" and "C-Class" routes classified under that Act, shall be the "B-Class" routes under this Act.
Accident suffering Relief Fund to	8. (1) For the purpose of providing relief to the passengers or other persons casualty in any accident in which a public service vehicle is involved, or heirs of such passengers or other persons, the State Government shall establish a fund to be known as the "Uttar Pradesh Road Transport Accidents Relief Fund". The surcharge levied under sub-section (3) of section 6 and an amount equivalent to one out of twenty one parts of the additional tax levied under sub-section (1) and (2) of section 6 shall be credited to the said fund. (2) The fund established under sub-section (1) shall be administered and utilized in such manner, as may be prescribed.
Payment of tax and penalty	9. (1) Subject to the provisions of section 11--- (i) the tax payable under sub-section (1) of section 4 shall be paid at the time of the registration of the vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Section 10]

Provided that in respect of an old motor vehicle, the tax shall be payable in advance on or before the fifteenth day of January in each year;

(ii) the tax payable under sub section (2) of section 4 shall be payable in advance for each quarter at the time of the registration of the vehicle under the Motor vehicles Act, 1988 and thereafter on or before the fifteenth day of January, April, July and October in each year;

[(iii) the additional tax payable under clause (a) of sub-section (1) of section 5 shall be payable in advance on or before the fifteenth day of January, April, July and October in each year;

(iv) (a) the additional tax payable under section 6 [other than a case to which sub-clause (b) applies] shall be payable in advance on or before fifteenth day of each calendar month at the rate of one-third of the rate specified in the Fourth Schedule;

(b) the additional tax payable under section 6 in respect of vehicles covered by temporary permit issued for the conveyance of passengers

on special occasions, such as to and from fairs and religious gatherings or to carry marriage parties, tourist parties or such other reserved parties shall be paid at the time of issuance of such temporary permit.]¹

- (2) When any person transfers a motor vehicle registered in his name to any other person, then without prejudice to the liability of the transfer or in this regard, the transferee shall be liable to pay the arrears of tax, additional tax and penalty, if any, in respect of the motor vehicle so transferred, due on or before the date of its transfer, as if the transferee was the owner of the said motor vehicle during the period for which such tax, additional tax or penalty is due.
- (3) Where the tax or additional tax in respect of a motor vehicle is not paid within the period specified in sub-section (1) in addition to the tax or the additional tax due, a penalty at such rate not exceeding twenty five per cent of the due amount, as may be prescribed, shall be payable, for which the owner and the operator if any shall be jointly and severally liable.
- (4) In computing the amount of tax, additional tax or penalty under this Act the amount shall be rounded off to the nearest rupee, that is to say a fraction of a rupee being fifty paise or more shall be rounded off to the next higher rupee and any fraction less than fifty paise shall be ignored.

Vehicles not 10. (1) Notwithstanding anything contained in section 9, no transport vehicle shall ply be used in in Uttar Pradesh under a temporary permit granted under the Motor Vehicles Uttaranchal Act, 1988 by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh unless without

there has been paid in respect thereof -- payment of tax

in

(i) a tax under section 4 calculated at the appropriate rate specified the First Schedule and in the manner provided under sub-section (2) for the number of weeks of its use or stay in Uttar Pradesh;

(ii) an additional tax under section 5 or section 6, as the case may be, calculated at the appropriate rate specified in the Sixth Schedule.

1. Substituted by section 2 of U.P. Act No. 5 of 1999.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]
12]

[Section 11-

- (2) For the purpose of levy and payment of tax under sub-clause (i) of clause (a) of sub section (1), the tax payable for any two weeks or part thereof shall be 2/13th of the rate specified in the first schedule.

- (3) In such transport vehicle is found plying in Uttar Pradesh without payment of the tax or additional tax payable under this Act such tax or additional tax along with a penalty, equivalent to ten times of the due tax or additional tax shall be payable.

Amount 11. When, in respect of a transport vehicle, the tax or the additional tax becomes payable on payable of the first time after the commencement of a quarter, the tax or liability additional tax payable under section 4 or section 5 or section 6, as the case occurring for

may be, shall be one-third of the appropriate quarterly tax for each calendar the first month or part thereof in respect of which the tax or additional tax is payable.

Non-use of 12. (1) When any person who has paid the tax in respect of a transport vehicle, proves vehicle and to the satisfaction of the Taxation Officer in the prescribed manner that the refund of tax motor vehicle in respect whereof such tax has been paid, has not been used for a continuous period of one month or more since the tax was last paid, he shall

be entitled to a refund of an amount equal to one-third of the rate of quarterly tax payable in respect of such vehicle for each [thirty days]¹ of such period for which such tax has been paid:

Provided that no such refund shall be admissible unless such person has surrendered the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the vehicle and the permit, if any, to the Taxation Officer, before the period for which such refund is claimed.

- (2) Where the operator or, as the case may be, the owner of a motor vehicle, does not intend to use his vehicle for a period of one month or more he shall, before the date the tax or additional tax, as the case may be, is due, surrender the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the motor vehicle and the permit, if any, to the Taxation Officer of the region where the tax or additional tax was last paid and on such surrender, no tax or additional tax under this Act shall be payable in respect of such vehicle for each complete calendar month of the period during which the vehicle remains withdrawn from use and the aforesaid documents remain surrendered with the Taxation Officer :

Provided that in case such vehicle is found plying during the period when it documents as mentioned in this sub-section remain surrendered with the Taxation officer, such owner or operator, as the case may be, shall be liable to the tax as if the said documents were not surrendered and shall also be liable to the penalty payable under sub-section (3) of section 9.

- (3) Where the owner of a motor vehicle other than a transport vehicle, in respect whereof one-time tax has been paid under this Act proves to the satisfaction of the Taxation Officer in prescribed manner that such motor vehicle has not been used for a continuous period of one month or more, he shall be entitled to a refund of such tax at the rates specified in part 'A' of the second schedule for the said period.

1.Substituted by section 3(a) of U.P. Act No. 5 of 1999.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Section 13]

Provided that no such refund shall be admissible, unless the certificate or registration and the token, if any, issued in respect of the vehicle are surrendered by the owner with the Taxation Officer;

Provided further that the total amount of refund under this sub-section shall not exceed the one-time tax paid under this Act.

- (4) In calculation the amount of refund under sub-section (3) any portion of the period being less than a calendar month, shall be ignored.
- (5) The owner of a motor vehicle other than a transport vehicle, in respect whereof one-time tax has been paid under this Act shall be entitled to refund of such tax at the rate specified in part "B" of the second schedule on the ground that he has, after payment of such tax, paid tax in respect of such vehicle under any enactment relating to any tax on motor vehicles in any other State or Union Territory as a consequence of such vehicle having been brought over permanently to such other State or Union Territory or that such motor vehicle has been converted in to a transport vehicle or that the registration of such motor vehicle has been cancelled.
- (6) Where any person who has paid the tax other than one-time tax in respect of an old motor vehicle, proves to the satisfaction of the

Taxation Officer that the motor vehicle in respect of which such tax has been paid, has not been used for a continuous period of one calendar month or more since the tax or installment was last paid, he shall be entitled to a refund of an amount equal to one-twelfth of the rate of annual tax payable in respect of such vehicle for each complete calendar month of such period for which such tax has been paid;

Provided that no such refund shall be admissible unless such person has surrendered the certificate of registration and the token, if any, issued in respect of the vehicle to the Taxation Officer, before the period for which such refund is claimed.

- (7) An operator of a transport vehicle entitled to any refund of tax under sub-section (1), shall also be entitled to refund of such portion of the additional tax paid under section 5 or, as the case may be, under section 6, is attributable to the period for which he is entitled to refund under sub-section (1), and the amount of such refund shall be calculated on the same principle as is laid down in the said sub-section.

- [(8) Where the operator, or as the case may be, the owner of a motor vehicle is, unable to use his motor vehicle due to an accident of the said vehicle and the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the said vehicle and the permit, if any are surrendered to the Taxation Officer within a week from the date of such accident together with a copy of the first information report, such surrender shall be deemed to have been made on the date of the accident.]]

Declaration by 13.
person keeping
vehicle for use

- (1) The owner or operator of every motor vehicle shall make a declaration in respect of it in the prescribed form and shall deliver the declaration within the prescribed time to the Taxation Officer and shall pay to him the tax or the additional tax which he appears by such declaration to be liable to pay in respect of such vehicle, as required by or under this Act.

1.Substituted by section 3(b) of U.P. Act No. 5 of 1999.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]
19]

[Section 14-

- (2) Where a motor vehicle is altered so as to render the owner or operator thereof liable to payment of enhanced tax or additional tax under section 14, such owner or operator shall make, within the prescribed time, an additional declaration in the prescribed form showing the nature of the alteration made and shall deliver it to the Taxation Officer and shall pay to him the difference in tax or additional tax payable under section 14.

Payment of 14. Where any motor vehicle in respect of which the tax or additional tax has difference in been paid is altered in such manner as to cause the vehicle to become a tax vehicle in respect of which a higher rate of tax or additional tax is payable, the owner or operator thereof shall in respect of such vehicle be liable jointly and severally to pay the difference between the amount of tax or additional tax payable after its being so altered.

Record of 15. (1) The Taxation Officer shall record the payment of tax in the certificate of payment of the registration granted in respect of the motor vehicle and in the case of a tax in the transport vehicle shall also issue a token in the prescribed form.

certificate of

registration

5 or and grant of
token

- (2) The Taxation Officer shall record payment of additional tax under section 6, as the case may be, in the certificate prescribed in this behalf, to be issued by him.

Power to stop 16. The driver of a motor vehicle shall cause the vehicle to stop and remain vehicle and stationary when required so to do by the Taxation Officer, or any other officer enter

authorized by the State Government in this behalf, in order to enable him to carry out any duty imposed on him by or under this Act and such authority or other officer may also enter the vehicle and travel in it for doing so.

Time table to 17. (1) Every operator of stage carriage shall, within such time and in such manner as be furnished may be prescribed, furnish to the Taxation officer a table regulation timings of arrival and departure of his stage carriage, as well as the number of single trips made in a quarter and such other particulars connected with his business, as the Taxation Officer may, by order, from time to time, require.

(2) Any alteration in the timings or particulars referred to in sub-section (1), shall be intimated by the operator to the Taxation Officer within fifteen days of such alteration taking effect.

Appeal 18. (1) Any person aggrieved by an order of the Taxation Officer made under section 12 may, within thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal to the appellate authority.

(2) The Appellate Authority may, after giving the appellant an opportunity of being heard pass such orders as it thinks fit.

(3) Every order made by the Appellate Authority in an appeal under sub-section (1) shall be final.

Punishment of 19. Whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules made offences thereunder shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and for the second or subsequent similar offence, be punishable with fine which may extended to one thousand rupees :

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Section 20-24]

Provided that no court shall, except for reasons to be recorded in writing, impose a fine of less than five hundred rupees for any such second or subsequent offence.

Recovery of 20. (1) Arrears of any tax or additional tax or penalty payable under this Act shall be tax recoverable as arrears of land revenue.

(2) The Tax, the additional tax and penalty payable under this Act shall be first charge on the motor vehicle including its accessories, in respect whereof it is due.

Power to 21. The appellate authority, or the Taxation Officer making any inquiry under this enforce Act shall have all such power as are vested in a civil court while trying a civil attendance of suit, in respect of,- witnesses etc.

(a)the summoning and enforcing of attendance of witnesses, and examining them on oath or affirmation or otherwise and the issue of commission or request to examine witnesses;

(b)compelling anyone for the production of any document; and

(c)punishing persons guilty of disobedience of orders issued in exercise of such powers referred to in the preceding clauses.

Detention of 22. (1) Where an officer authorized by the State Government in this behalf, has reason Transport to believe that a transport vehicle has been or is being used by a person vehicle in case without payment of tax, additional tax or penalty if any, he may seize and of non- detain the transport vehicle and for the purpose take, or cause to be taken, payment of tax such steps as may be considered, by him necessary, for the safe-custody of the

transport vehicle and, in particular, require the driver of such vehicle to convey it to the nearest police station or any other place specified by him :

Provided that the officer seizing the vehicle shall, within forty-eight hours of such seizure, send a report of such seizure to the concerned Taxation Officer.

- (2) A Transport vehicle seized or detained under this section shall be released by the Taxation officer immediately on payment of the tax, additional tax, penalty or other amount due for the non-payment whereof the vehicle was so seized or detained.

Bar of 23. No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in jurisdiction of respect of anything done, any action taken or any order or direction issued by courts the State Government or any other authority or officer in pursuance of any power conferred by, or in relation to its or his functions under this Act.

Compounding 24. (1) Subject to such conditions as may be prescribed, an offence punishable under of offences this Act may be compounded either before or after the institution of the prosecution, by the Taxation Officer or any other officer empowered by the State Government in this behalf by notification, on realization of an amount equivalent to fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under this Act.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]
28]

[Section 25-

- (2) When an offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence;

(ii) after the institution of the prosecution, the compounding shall amount to acquittal of the offender and no further proceedings shall be taken against the person of the same offence.

Cognizance of 25. No Court shall take cognizance of an offence punishable under this Act offences except on a report in writing of the facts constituting such offence made by the Taxation Officer.

Offences by 26. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company, Companies as well as every person in charge of an responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be quality of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any secretary, director, manager, or other officer of the company, such secretary, director, manager, or other officer, shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—for the purpose of this section—

(a)“Company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b)“Director” in relation to a firm, means a partner in the firm.

Protection of 27. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State action taken in Government or any of its officers or servants in respect of anything which in good faith good faith is done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, order or direction made or given thereunder.

Power of State 28. (1) The State Government may, by notification make rules for carrying out the Government to purposes of this Act.

make rules

power, (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing the State Government may make rules for all or any of the following purposes, namely-



(a) Prescribing the manner and the



form in which, and the authority to which, application for payment of tax or additional tax under this Act shall be presented;

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Section 29]

(b) Prescribing the form of any certificate, declaration, notice, receipt or token and the particulars to be stated therein and the manner of exhibiting a token on a motor vehicle;

(c) Prescribing the manner in which, and the fees on payment of which, token or certificate may be granted or transferred under this Act;

(d) Prescribing generally the authorities by whom, and manner in which, any duties in respect of or incidental to the carrying into effect of the provisions of this Act, may be performed;

(e) Regulating the method of payment and recovery of the tax, additional tax and penalty;

(f) Regulating the manner in which exemptions from, and refunds of, the tax or additional tax may be claimed and granted;

(g) Prescribing the fee for appeal and regulating the manner in which appeals may be instituted and heard;

(h) Prescribing the manner of service of orders passed or notices issued under this Act;

(i) Prescribing the time for, and manner of, furnishing the time table and other particulars under section 17;

(j) Prescribing the manner in which routes are to be classified;

(k) Prescribing the manner in which the Uttar Pradesh Road Transport Accidents Relief Funds shall be administered and utilized;

(l) Any other matter for which rules are to be or may be made.

Power to 29.
remove
difficulties

(1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty, by a notified order, direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after the expiration of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub section (1) shall be laid as soon as may be, before both the Houses of State Legislature; and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Section 30]

Repeal and 30. (1) The United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935, the Uttar Pradesh savings Motor Gadi (Yatri-kar) Adhiniyam, 1962, and the Uttar Pradesh Motor Gadi (Mal-kar) Adhiniyam, 1964, are hereby repealed.

(2) Without prejudice to the generally of section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, the repeal of the enactments referred to in sub-section (1) shall not affect any liability incurred before the date of such repeal and the proceedings under such enactment pending on the said date before any competent authority or court, and all proceedings

relating to any such liability as aforesaid instituted after the commencement of this Act, shall be continued and disposed of as if this Act had not come into force.



FIRST SCHEDULE**(see section 4)****PART “A”**

Classification of Vehicles other than transport vehicles with reference to which rates have been prescribed in part B and C of this Schedule and part A and B of the Second Schedule.

Description of Vehicles**Article**

I. Motor Cycles (which term includes scooters and mopeds)-

- (1) Not exceeding 80 kilograms in weight, unladen;
- (2) Exceeding 80 kilograms in weight, unladen but not exceeding 500 kilograms unladen.

II. (1) Vehicles not being motor cycles, constructed and used solely for the conveyance of persons and light personal luggage with seating accommodation for not more than six persons, exclusive of the driver.

(2) Trailers drawn by vehicles covered by this Article.

III. Vehicles including motor cycles, weighing more than 500 kilograms in weight, unladen, Constructed or adapted for use for the conveyance of more than six persons, exclusive of the driver :-

- (1)
 - (a) not exceeding 2000 kilograms in weight, unladen;
 - (b) exceeding 2000 kilograms but not exceeding 3000 kilograms in weight, unladen;
 - (c) exceeding 3000 kilograms but not exceeding 4000 kilograms in weight, unladen;
 - (d) exceeding 4000 kilograms but not exceeding 5000 kilograms in weight, unladen;
 - (e) exceeding 5000 kilograms in weight, unladen.
- (2) Trailers drawn by vehicles covered by this Article.

1[PART “B”

Rates of one time tax on vehicles under sub-section (1) of section 4

		Rates of one time tax in Rupees							
S. Vehicle	Registered	Registered	Registered	Registered	Registered	Registered	Registered	Registered	Registered
No. according	Registered	Registered	Registered	Registered	Registered	Registered	Registered	Registered	Registered
to the	on or after	in the year,	in the year	in the year	in the year	in the year	in the year	in the year	in
Articles of	the date of	1987 and	1986	1985	1984	1983	1982		
part “A”	1981	1980 1979 1978 1977 or	1986	1985	1984	1983	1982		
Uttar Pradesh	1-1-88 up thereto	to 4-2-88	1-1-88 up thereto	1-1-88 up thereto	1-1-88 up thereto	1-1-88 up thereto	1-1-88 up thereto	1-1-88 up thereto	1-1-88 up thereto
Motor Vehicles Taxation Act, 1997	Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997	Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997	Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997	Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997	Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997	Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997	Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997	Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997	Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 I(1)	800.00	634.00	475.00	316.00	158.00	158.00	158.00	158.00	
	158.00	158.00	158.00	158.00					
2 I(2)	1500.00	1350.00	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	
	300.00	163.00	163.00	163.00					
3 II(1)	2.5% cost of		4589.00	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2138.00
	1311.00	900.00	489.00						
		the vehicle							
4 II(2)		605.00	557.00	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	
	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00				
5 III(1)(a)	2.5% cost of		5324.00	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00
	1452.00	968.00	484.00						
		the vehicle							
6 III(1)(b)	2.5% cost of		7550.00	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00
	2130.00	1452.00	774.00						
		the vehicle							
7 III(1)(c)	2.5% cost of		10430.00	9486.00	8543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00
	2880.00	1936.00	992.00						
		the vehicle							
8 III(1)(d)	2.5% cost of		12209.00	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00
	3400.00	2299.00	1198.00						
		the vehicle							
9 III(e)	2.5% of	12209.00	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	5401.00
	3400.00	2299.00	1198.00						
		cost of the	plus	plus	plus	plus	plus	plus	plus
		plus	plus	plus	plus	plus	plus	plus	plus
		vehicles	4888.00	4453.00	4017.00	3582.00	3146.00	2710.00	2275.00
			1404.00	968.00	for	532.00			1839.00
		plus for every	for every	for every	for every	for every	for every	for every	for
		every	for every	for every	every 1000	for every			
		5324.00	for 1000	1000	1000	1000	1000	1000	kilograms
			1000						
		every 1000 kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	
		kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	
		kilograms or	or part	or part	or part	or part	or part	or part	
		or part	or part	or part	or part	or part	or part	or part	
		part thereof	thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	
		thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	thereof in	
		in excess of	excess of	excess of	excess of	excess of	excess of	excess of	
		excess of	excess of	excess of	excess of	excess of	excess of	excess of	
		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
		kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	
		kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	kilograms	
10 III(2)	1210.00	1113.00	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	
	436.00	339.00	242.00	145.00					

1. Part 'B' and Part 'C' substituted by section 3(a) of U.P. Act No. 4 of 2000.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Part 'C']

Provided that the rate of one time tax on vehicles covered by Article II(1), III(1)(a), III(1)(b), III(1)(c), III(1)(d) and III(1)(e) of Part 'A' and registered on or after the commencement of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2000 shall not be less than Rupees 5000.00:

Provided further that the rate of tax in respect of all motor vehicles driven by petrol shall be double of the rates specified against Articles I, II and III or this Part except in respect of the following classes of owners, namely:--

(a) An individual;

(b) A Municipal Council, Municipal Corporation, Zila Panchayat, Nagar Panchayat or Kshetra panchayat ;

(c) A University established by or under any law;

(d) Any recognized educational institution;

(e) Any public charitable trust;

(f) Any other class of persons using motor vehicles for public purposes specified

by the State Government in this behalf by notification;

Provided also that the rates of tax in respect of all motor vehicles driven by diesel

shall be double of the rates specified against Article I, II and III of this Part.

PART “C”

Rates of Tax (other than one-time tax) under provision to sub-section (1) of section 4-

Serial no.	Vehicles according to the Articles of part “A”	Annual rate of tax (Rs.P.)
1	I (1)	90.00
2	II (2)	150.00
3	II (1)	500.00
4	II (2)	55.00
5	III (1)(a)	528.00
6	III (1)(b)	748.00
7	III (1)(c)	1034.00
8	III (1)(d)	1210.00
9	III (1)(e)	1210.00
		Rs. 484.00 for every 1000 kg. or part thereof in excess of 5000 kg.
10	III(2)	110.00

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Part ‘D’]

Provided that the rates of tax in respect of all motor vehicles driven by petrol/diesel shall be double of the rates specified in Articles I, II and III of this part except in respect of the following classes of owners, namely—

(a)an individual;

(b)a Municipal Council, Municipal Corporation, Zila Panchayat, Nagar panchayat or kshetra panchayat;

(c)a University established by or under any law;

(d)any recognizes educational institution;

(e)any public charitable trust;

(f)any other class of persons using motor vehicles for public purposes specified by the state Government in this behalf by notification:

Provided further that the rates of tax in respect of all motor vehicles driven by diesel shall be double of the rates specified against Articles I, II and III of this Part.]²

PART “D”

Rates of tax on Transport Vehicles under sub-section (2) of section 4

Article	Description of vehicles	Rate of tax
---------	-------------------------	-------------

per

quarter

1

2

3 1. Vehicles plying for the conveyance of passengers and light personal luggage
Rs. P.

of passengers

(1) with seating capacity for not more than three persons exclusive of the
95.00

driver;

(2) with seating capacity for four persons exclusive of the driver;

185.00 (3) with seating capacity for more than four but not more than six
persons exclusive of the driver;

(a) three-wheelers

185.00

(b) others;

230.00 (4) with seating capacity for more than six persons but not more than
twelve persons exclusive of the driver;

(a) if intended for use on "A" class route

350.00

(b) if intended for use on "B-class" route

[201.00]₁ (5) with seating capacity for more than twelve persons but not more than
twenty persons exclusive of the driver;

1-Substituted by section 4(a)(i) of U.P. Act No. 5 of 1999.

2-Part 'B' and Part 'C' substituted by section 3(a) of U.P. Act No. 4 of 2000.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Part 'D']

(a) if intended for use on A-Class" route;

(i) for the first twelve seats

350.00

30.00 (ii)

for every additional seat

(b) if intended for use on "B-class route;

[201.00

(i) for the first twelve seats

08.00]₁

(ii) for every additional seat

(6) with seating capacity for more than twenty persons but not
more than thirty five persons exclusive of the driver;

(a) if intended for use on "A-class" route;

590.00

(i)

for the first twenty seats

35.00 (ii)

for every additional seat

(b) if intended for use on "B-class" route;

[265.00

30.00]₂

(i)

for the first twenty seats

(ii) for every additional seats

(7) with seating capacity for more than thirty-five persons
exclusive of the driver:

(a) if intended for use on "A class" route

Rs.1115.00+

Rs.45.00

for every seat in

excess

of thirty five seats

(b)if intended for use on “B-class” route;

00
excess
seats]³

[Rs.438.00+Rs.17.
for every seat in
of thirty-five

Explanation--- For the purpose of this Article, fifty per cent of the sanctioned standing capacity, if any, shall be reckoned as additional capacity;

- II Vehicles plying for hire for the conveyance of limited number of passengers and the transport of a limited quantity of passengers goods, the tax payable under Article I in respect of the authorized
45.00
number of passenger seats in addition to tax for every metric ton of the [Gross vehicle weight]⁴ of the vehicle, or part thereof:
- III Vehicle plying for transport of goods only excluding trailers attached to tractors, which trailers are used solely for agricultural purposes, for every metric ton of the [Gross vehicle weight]⁴ of the vehicle, or part thereof:
(i)for more than one region
70.00
(ii)for more than one reason
85.00
- IV Tractor by which trailer is drawn and which is used for purposes
45.00
other than agricultural purposes- tax in addition to the tax paid in respect of the trailers drawn by it;

1.Substituted by section 4(a)(ii) of U.P. Act No. 5 of 1999.

2.Subs. by section 4(a)(iii) ibid.

3.Subs. by section 4(a)(iv) ibid.

4.Subs. by section 4(b) ibid.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Part ‘D’]

Explanation ---

(1) Where any motor vehicle is used for various purposes or in such a manner as to cause it to be taxable under more than one Article on this schedule, the tax payable shall be at the highest appropriate rate.

(2) Where a motor vehicle is equipped with sleeping berths, each sleeping berth shall, for the purposes of Article I and II to this part be regarded as the equivalent of two passenger seats.

(3) Every trailer attached to or drawn by a motor vehicle, which is taxable under any of the Article II, III and IV of this part be regarded as a separate motor vehicle liable to appropriate tax as specified in that Article.

Second schedule

(See section
12)
1[Part “A”

Rates of refund of one time tax under sub-section (3) of section 12

S. No. Vehicles according to the Articles Amount to be refunded for each month

of part “A” of the first schedule
of non-use of the motor vehicle (in Rupees)

1	I(1)	3.00
2	II(2)	5.00
3	II(1)	20.00
4	II(2)	2.00
5	III(1)(a)	24.00
6	III(1)(b)	34.00
7	III(1)(c)	47.00
8	III(1)(d)	55.00
9	III(1)(e)	55.00+Rs.22.00 for every 1000
	Kg. or	part thereof in excess of 5000Kg.
10	III(2)	5.00

Provided that the rates of refund shall be double of the amounts specified above in respect of all vehicles in respect whereof tax at double rate have been paid under the provisions to Part “B” of the First

Schedule.

PART 'B'**Rates of refund of one time tax under sub-section (5) of section 12**

Amount to be refunded (In Rupees) in case the age of the vehicles from the month of its original registration is:

seri	vehicles	Not more	more than	more than	more than	more than	more than	more	
than	more than	more than	more than	more than					
al	according	than one	one year	two year	three year	four year	five year	six year	
but	seven year	eight year	nine year	ten year					
no.	to the	year	but not	but not	but not	but not	but not	not	
more	but not	but not	but not	but not					
	Articles of		more than	more than	more than	more than	more than	than	
	seven		more than	more than	more than	more than			
	part A" of		two year	three year	four year	five year	six year	year	eight y
	Ist								



Schedule									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I(1)	475.00	317.00	158.00	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2	II(2)	1200.00		1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	
		300.00	168.00	Nil	Nil	Nil			
3	II(1)	4180.00		3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2130.00	
		1720.00	1311.00	900.00	489.00	Nil			
4	II(2)	508.00		460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	
		218.00	169.00	121.00	73.00	Nil			
5	III(1)(a)	4840.00		4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	
		1936.00	1452.00	968.00	484.00	Nil			
6	III(1)(b)	6873.00		6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	
		2807.00	2130.00	1452.00	774.00	Nil			
7	III(1)(c)	9486.00		7543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	
		3824.00	2880.00	1936.00	992.00	Nil			
8	III(1)(d)	11108.00		10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	
		4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	Nil			
9	III(1)(e)	11108.00		10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	
		4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	Nil			
		plus plus	plus plus	plus plus	plus plus	plus plus	plus plus	plus plus	plus plus
		968.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00
		4453.00 for	4017.00 for	3582.00 for	3146.00	2710.00 for	2275.00 for	1839.00	
		for 1404.00 for	for 1404.00 for	for 1404.00 for	for 1404.00 for	for 1404.00 for	for 1404.00 for	for 1404.00 for	
		every 1000	every 1000	every 1000	every 1000	every 1000	every 1000	every 1000	
		1000 every 1000	1000 every 1000	1000 every 1000	1000 every 1000	1000 every 1000	1000 every 1000	1000 every 1000	
		kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	
		of part of part	of part of part	of part of part	of part of part	of part of part	of part of part	of part of part	
		thereof in thereof	thereof in thereof	thereof in thereof	thereof in thereof	thereof in thereof	thereof in thereof	thereof in thereof	
		in excess of	in excess of	in excess of	in excess of	in excess of	in excess of	in excess of	
		of excess of	of excess of	of excess of	of excess of	of excess of	of excess of	of excess of	
		5000 5000	5000 5000	5000 5000	5000 5000	5000 5000	5000 5000	5000 5000	
		5000 5000	5000 5000	5000 5000	5000 5000	5000 5000	5000 5000	5000 5000	
		kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	
		kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	
		kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	kilograms kilograms	
10	III(2)	1016.00		920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	
		436.00	339.00	242.00	145.00	Nil			

Provided that the rates of refund shall be double of the amounts specified above in respect of all vehicles in respect whereof tax at double rate has been paid under the provisos to Part 'B' of the first Schedule.]¹

1.Part 'A' and Part 'B' substituted by section 4 of U.P. Act No. 4 of 2000.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997]

[Scheduled III]

Third Schedule

(See section 5)

Rates of additional tax on goods carriages

(A) Additional tax on goods carriages operating on hill routes and plain routes:

Article	Area of operation	Rate of additional tax per quarter
I	Hill routes	Rs.210.00 per metric ton of the [Gross vehicle weight] ¹ of the vehicle or part thereof.
II	Plains routes –	

(i) For one region:

(ii) For more than one region:

Rs.85.00 per metric ton of the [Gross vehicle weight]¹ of the vehicle or part

thereof.

Rs.110.00 per metric ton of the [Gross vehicle weight]¹ of the vehicle or part

thereof.

[Provided that the rate of additional tax in respect of the goods carriages carrying exclusively agricultural produce, minerals and petroleum goods shall be half of the rates specified against Articles I and II.]²

Explanations :--

(1) Where any motor vehicle is taxable under more than one Article of this Schedule, the additional Tax is payable at the highest appropriate rate.

(2) The term “hill routes” means all roads lying within Pithoragarh, Almora, Chamoli, [Uttarkashi, Rudra Prayag, Champawat, Bageshwar, and Tehri Garhwal]³ districts, Tehsil Chakrata of Dehradun district and those portion of Nainital, Udham Singh Nagar and Garhwal districts which lie on the north for the base of foot hills from Tanakpur in the east right along kathgodam, Ramnagar, Kotdwara to Luxman Jhula in the West and also all roads beyond municipal limits of Dehradun town towards Mussoorie side.

(B) Additional tax on a goods carriage operation under national permit granted under sub section (12) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 by a State other than the State of Uttar Pradesh or a Union Territory shall be Rs.5000.00 for each year or part thereof.

1. Substituted by section 5 (a) of U.P. Act No. 5 of 1999.
2. Ins. by section 5 (b) ibid.
3. Subs. by section 5 (c) ibid.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Fourth Schedule]

Fourth Schedule

(see section 6)

Rates of additional tax on stage carriage

I- In respect of vehicles other than Omni bus when used as contract carriage, operating in plains,
excluding [***]² Jhansi Regions.

(a) The rate of additional tax on each seat --

Sl. No	Distance run in a quarter (in Kms.)	Amount of tax	Quarterly tax
		On 'A' class routes (Rs. P.)	On 'B' class routes (Rs. P.)
1	Upto 4500	[133.00] ³	[156.00] ¹
2	exceeding 4500 but not exceeding 5700	[169.00] ³	[197.00] ¹
3	exceeding 5700 but not exceeding 7200	[214.00] ³	[248.00] ¹
4	exceeding 7200 but not exceeding 9000	[267.00] ³	[311.00] ¹
5	exceeding 9000 but not exceeding 11700	[347.00] ³	[404.00] ¹
6	exceeding 11700 but not exceeding 14400	[428.00] ³	[498.00] ¹
7	exceeding 14400 but not exceeding 18000	[534.00] ³	[622.00] ¹
8	exceeding 18000 Rs.156.00	[534.00 plus Rs.133.00 for every 4500 kms. or for every 4500 kms. or part thereof.] ³	[622.00 plus for every 4500 kms. or for every 4500 kms. or part thereof.] ¹

Provided that the additional tax on a State carriage operating within the limits of a corporation or a municipality shall be Rupees 4200/- per quarter in respect of a stage carriage having not more than 35 seats and Rupees 6000/- per quarter in respect of a stage carriage having more than 35 seats.

(b) Rate of additional tax on stage carriages covered by temporary permits issued for the conveyance of passengers on special occasions such as to and from fairs and religious gatherings and for marriage parties, tourist parties or such other reserved parties.

1. Article (1) (a) of respective (i) to (viii) in Column 4 substituted by section 6 of U.P. Act No. 5 of 1999.

2. Omitted the words "Meerut and" by section 2 (a) of U.P. Act No. 30 of 1999.

3. Subs. by section 2 (b) of respectively (i) to (viii) ibid.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Fourth Schedule]

(i) For vehicles with seating capacity for not more than 42 persons exclusive of the driver and conductor Rs.135.00 per day in addition to the tax payable under

clause (a) of Article I for the number of days for which the temporary permit is issued.

(ii) For vehicles with seating capacity for more than 42 persons, exclusive of the driver and conductor Rs.225.00 per day in addition to the tax payable under

clause (a) of Article I for the number of days for which the temporary permit is issued.

Provided that the rates of additional tax on express, semi-deluxe, deluxe and air conditioned stage carriage shall be —

- (i) Express — five percent higher than the rates under clause (a) or Clause (b) of Article I, as the case may be.
- (ii) Semi deluxe- Eight per cent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article I, as the case may be.

(iii)Deluxe —

(iv)Air conditioned —

Twenty per cent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article I, as the case may be.

Fifty per cent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article I, as the case may be.

[Provided that the rate of additional tax in respect of the goods carriages carrying exclusively agricultural produce, minerals and petroleum goods shall be half of the rates specified against Articles I and II.]¹

II-- In respect of vehicles, other than Omni bus when used as contract carriage, operating in hills.

(a) Rates of additional tax on each seat:--

Serial no..	Distance run in a quarter (In Kms)	Amount of Quarterly tax
1	Upto 4500	[140.00] ²
2	exceeding 4500 but not exceeding 5700	[177.00] ²
3	exceeding 5700 but not exceeding 7200	[223.00] ²
4	exceeding 7200 but not exceeding 9000	[280.00] ²
5	exceeding 9000 but not exceeding 11700	[364.00] ²
6	exceeding 11700 but not exceeding 14400	[447.00] ²
7	exceeding 14400 but not exceeding 18000	[559.00] ²
8	exceeding 18000	[559.00 plus Rs.140.00 for every 4500 kms. or part thereof] ²

1. Ins. by section 6(b) of U.P. Act No. 5 of 1999.

2. Article (2) (a) of respective (i) to (viii) in Column 3 by substituted ibid.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997] [Fourth Schedule]

Provided that the additional tax on a stage carriage operating within the limits of a corporation or a municipality shall be rupees 4200/- per quarter in respect of a stage carriage having not more than 35 seats and Rupees 6000/- per quarter in respect of a stage carriage having more than 35 seats.

(b) Rate of additional tax on stage carriages covered by temporary permits issued for the

conveyance of passengers on special occasions such as to and from fairs and religious gatherings and for marriage parties, tourist parties or such other reserved parties.

- (i) For vehicles with seating capacity for not more than 42 persons exclusive of the driver and conductor Rs.135.00 per day in addition to the tax payable under clause (a) of Article II for number of days for which the temporary permit is issued.
- (ii) For vehicles with seating capacity Rs.225.00per day in addition to the tax

for more than 42 persons, payable under clause (a) of Article II for the
exclusive of the driver and number of days for which the temporary
conductor permit is issued.

Provided that the rates of additional tax on express, semi-deluxe, deluxe and air conditioned stage carriage shall be —

- (i) Express —
(ii) Semi deluxe-
(iii) Deluxe—
(iv) Air conditioned —

five percent higher than the rates under clause (a) or Clause (b) of Article II, as the case may be.

Eight per cent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article II, as the case may be.

Twenty per cent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article II, as the case may be.

Fifty per cent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article II, as the case may be.

[Provided that the rate of additional tax in respect of the goods carriages carrying exclusively agricultural produce, minerals and petroleum goods shall be half of the rates specified against Articles I and II.]¹

III-- [***]²

1.Ins. by section 6(b) of U.P. Act No. 5 of 1999.

2.Omitted by. section 2 of sub clause (c) of UP Act no 3 of 1999.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Fourth Schedule]

IV- In respect of vehicles, other than Omni bus when used as contract carriage, operating in Jhansi Region.

(a) Rates of additional tax on each seat:--

Sl. No	Distance run in a quarter (in Kms.)	Amount of quarterly tax
	On 'A' class routes (Rs. P.)	On 'B' class routes (Rs. P.)
1	Upto 4500	[104.00 117.00
2	exceeding 4500 but not exceeding 5700	132.00 148.00
3	exceeding 5700 but not exceeding 7200	167.00 186.00
4	exceeding 7200 but not exceeding 9000	209.00 233.00
5	exceeding 9000 but not exceeding 11700	272.00 303.00
6	exceeding 11700 but not exceeding 14400	335.00 374.00
7	exceeding 14400 but not exceeding 18000	418.00 466.00
8	exceeding 18000 Rs.117.00	418.00 plus Rs.104.00 466.00 plus
	for every 4500 kms. or kms. or part thereof.	for every 4500 part thereof.] ¹

Provided that the additional tax on a stage carriage operating within the limits of a corporation or a municipality shall be rupees 4200/- per quarter in respect of a stage carriage

having not more than 35 seats and Rupees 6000/- per quarter in respect of a stage carriage having more than 35 seats.

(b) Rate of additional tax on stage carriages covered by temporary permits issued for the conveyance of passengers on special occasions such as to and from fairs and religious gatherings and for marriage parties, tourist parties or such other reserved parties.

(i) For vehicles with seating capacity for Rs.135.00 per day in addition to the tax payable

not more than 42 persons exclusive of the driver and conductor under clause (a) of Article IV for the number of days for which the temporary permit is issued.

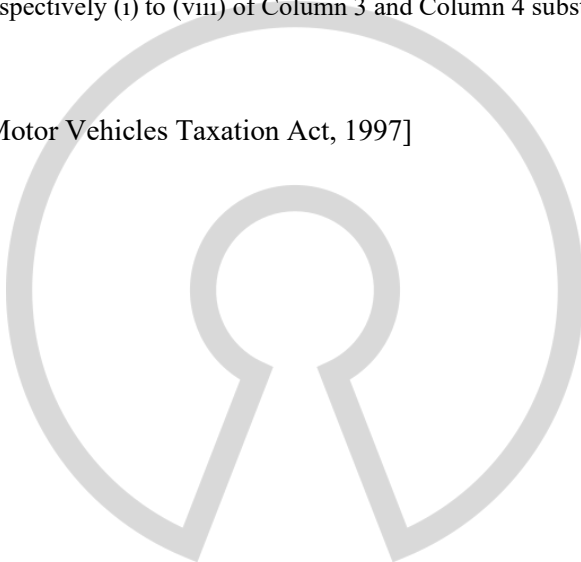
(ii) For vehicles with seating capacity for Rs.225.00 per day in addition to the tax payable

more than 42 persons, exclusive of the driver and conductor under clause (a) of Article IV for the number of days for which the temporary permit is issued.

Provided that the rates of additional tax on express, semi-deluxe, deluxe and air conditioned stage carriage shall be —

1. Article 4(a) of respectively (i) to (viii) of Column 3 and Column 4 substituted by section 6 of U.P. Act No. 5 of 1999.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]



[Fourth Schedule]

- (i) Express – five percent higher than the rates under clause (a) or Clause (b) of Article IV, as the case may be.

- (ii) Semi deluxe-

- (iii) Deluxe—

- (iv) Air conditioned –

Eight per cent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article IV, as the case may be.

Twenty per cent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article IV, as the case may be.

Fifty per cent higher than the rates under clause (a) or clause (b) of Article IV, as the case may be.

[Provided further that for calculation of additional tax under clause (b) the numbers of days

a stage carriage covered by the temporary permit is operated out of Uttar Pradesh shall not be taken into account.]¹

V-- In respect of Contract Carriage:-

- (a) covered by permits issued under section 74 or sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 by authorities having jurisdiction within Uttar Pradesh:--

	amount of Quarterly tax (in Rupees)
[(i) Motor cab with seating capacity for not more than three person exclusive of the driver.	225.00
(i-a) Three Wheeler Motor Cab with seating capacity for more than three persons but not more than six persons exclusive of the driver	450.00
(i-b) Motor Cab other than specified in sub-clauses (1) and (1-a)	675.00
(ii) Maxi cab	4500.00] ²
(iii) For vehicles with seating capacity for more than 12 persons but not more than 20 persons exclusive of the driver and conductor.	13709.00
(iv) For vehicles with seating capacity or more than 20 persons but not more than 41 persons exclusive of the driver and conductor.	20563.00 ²⁴
(v) For vehicles with seating capacity of 42 persons and above exclusive of the driver and conductor.	24646.00
(vi) For deluxe bus	29786.00
(vii) For air conditioned bus	34499.00

- (b) Covered by permits under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicle Act, 1988 read with

the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993, issued by authorities having jurisdiction outside the State of Uttar Pradesh:--

1.Substituted by section 6 of Article 4(b) of U.P. Act No. 5 of 1999.

2.Subs. by section 6(5) ibid.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Fourth Schedule]

Amount of Quarterly Tax (in Rupees)

(i) Motor Cab	300.
00 (ii) Maxi Cab	300
0.00 (iii) Omni Bus	120
00.00	

Explanations : --

- (1) The total quarterly tax payable under this schedule on a stage carriage shall be such number of times of the rates given under [Articles I, II]₁ and IV above, as the maximum number of seats permitted by the Registering authority under the relevant provisions of the Motor Vehicles Act, 1988. For this purpose, fifty per cent of the sanctioned standing capacity, if any, of a stage carriage shall be reckoned as additional seating capacity, with the fraction of a seat being counted as one seat.
- (2) The quarterly run distance of a stage carriage under sub-clause (a) of each [Article I, II]₂ and IV of this schedule shall be such numbers of one way trips as are permitted under the conditions of the permit multiplied by the total kilometers involved in one such trip.
- (3) Until such time as the timings and trips are fixed by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority, as the case may be, an operator shall pay additional tax on the quarterly run distance to be arrived at on the basis of trips operated by the vehicle prior to the enforcement of this Act.
- (4) Express stage-carriage' means a stages carriage which-
 - (a) Operates on a route length of not less than 200 kilometers except Lucknow, Kanpur route and stops only at District and Tahsil headquarters;
 - (b) Confirms to the following specifications:-
 - (I) Each passenger's seat:--
 - (i) should have a minimum area of 40*38.5 centimeters measured on the straight lines a long and at right angle to the front of each seat;
 - (ii) should be provided with 9 centimeter thick seat cushion;
 - (iii) should be provided with back rest of height of 56 centimeters with 2.5 centimeters thick cushion with terrycot rexine cover and head rest of 40/15.24 centimeters *23 centimeters.
 - (II) Seating arrangement:- seating layout should be three and two on either side, all seats facing forward with a clear space of not less than 66.2 centimeters between the back of seats within 28 centimeters leg space.
 - (III) Windows-- 113 centimeters wide fitted with safety glasses conforming to the specifications laid down in rule 100 of the central Motor vehicles Rules 1989.

1.Substituted by section 2 (d) (i) of U.P. Act No. 30 of 1999.

2.Subs. by section 2 (d) (ii) ibid.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Fourth Schedule]

(IV) Drive's Cabin:-- Drive's Cabin should be half partitioned, and

(V) should have the facilities of an audio system and internal fluorescent tube-lighting.

(5) Semi-deluxe stage carriage means a stage carriage with conforms to the following specifications:-

(I) each passenger's seat:-

(i) should have a minimum area of 40*40 centimeters on the straight lines along

- and at the right angle to the front of each seat;
- (ii) should be provided with seat cushion of 9 centimeters;
 - (iii) should be provided with back rest of the height of 61 centimeters with 5 centimeters thick cushion with foam rexine cover and head rest of 40/17.78 centimeters* 26.67 centimeters.
- (II) Seating arrangement: seating layout should be three and two on either side, all seats facing forward with a clear space of not less than 71.2 centimeters between back of seats with 30 centimeters leg space.
 - (III) Window-- 142.5 centimeters wide fitted with safety glasses conforming to the specification laid down in rule 100 of Central Motor Vehicles rules 1989.
 - (IV) Driver's Cabin: Driver's cabin should be half partitioned; and
 - (V) Should have the facilities of an audio system and internal fluorescent tube lighting.
- (6) "Deluxe stage carriage" or Deluxe Bus" means a bus which conforms to the followings specifications:
- (I) each passenger's seat-
 - (i) should have a minimum area of 45.8*45.8 centimeters measured on the straight lines along and at the right angle to the front of each seat;
 - (ii) should be provided with seat cushion of 10 centimeters;
 - (iii) should be provided with back rest of the height of 71.2 centimeters with 5 centimeters thick cushion with foam rexine cover or tapestry cover and head rest of 40/17.78 centimeters *26.67 centimeters.
 - (II) Seating arrangement:- seating layout should be two and two on either side, all seats facing forward with a clear space of not less than 71.2 centimeters between the back of seats with 38 centimeters leg space.
 - (III) Windows: --142.5 centimeters wide fitted with filmed safety glasses conforming to the specifications laid down by the Bureau of Indian Standards.
 - (IV) Driver's Cabin: Driver's cabin should be half partitioned , and
 - (V) should have the facilities of an audio system and internal fluorescent tube lighting.
- [The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997] [Fifth Schedule]
- (7) for the purpose of this schedule, seat will not include the drivers and the conductor's seat.
 - (8) where any motor vehicle is taxable under more than one of the Articles of this schedule, the additional tax payable shall be at the highest appropriate rate.
 - (9) hills mean and includes-
 - (a) district of Pithoragarh, Almora, Chamoli, [Uttarkashi, Rudraprayag, Champavat, Bageshwar and Tehri Garhwal]¹;
 - (b) Tehsil of Chakrata of district Dehradun;
 - (c) those portions of Nainital, Udham Singh Nagar and Garhwal districts which lie on the north of the base of foot hills from Tanakpur in the east right along kathgodam, Ramnagar, Kotdwara to laxman jhula in the west; and
 - (d) area lying towards Mussoorie outside the municipal limits of Dehradun.
 - (10) Jhansi region' means districts of Lalitpur, jhansi, jalaun, Hamirpur, [Mahoba, Chhatrapati Shahuji Maharaj Nagar and Banda.]²
 - (11) [***]³
 - (12) In this Schedule, the expressions corporation and municipality, shall have the meanings respectively assigned to them in the Uttar Pradesh municipal Corporations Act, 1959 and the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916.

Fifth Schedule

(see section 6)

Formula of Additional Tax payable by the Uttar Pradesh State Road Transport undertaking,

under section 6:

$\frac{G \times 21}{121}$

121

In this Schedule-- "G" stands for gross receipts of the undertaking on account of passenger traffic during any calendar month.

1.Substituted by section 6 (i) of U.P. Act No. 5 of 1999.

2.Subs. by section 6 (ii) ibid.

3.Omitted by section 2 (d) (iii) of U.P. Act No. 30 of 1999.

[The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997]

[Sixth Schedule]



Sixth Schedule**(See section 10)**

The rates of additional tax payable under section 10 by goods carriages and contract carriages and public service vehicle plying under permits granted by authorities having jurisdiction

outside Uttar Pradesh for an inter State route partly lying in Uttar Pradesh :--

I- Goods Carriage

Rs. 22.00 per day for the number of days of operator of goods carriage in Uttar Pradesh under a temporary permit.

II- Public service vehicle:

(a) Ordinary Bus	R.s. 375.00 per day	for the number of days of operation of Ordinary, semi-Deluxe, Deluxe or Air
(b) Express Bus	Rs. 410.00 per day	
(c) Semi-Deluxe Bus	Rs. 450.00 per day	under a temporary permit
(d) Deluxe Bus	Rs. 525.00 per day	
(e) Air Conditioned Bus	Rs. 600.00	

Explanation :-- for the purpose of this schedule the expression "Deluxe Bus" shall have

the meaning assigned to it in explanation (6) of the fourth Schedule.